अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राजस्थान की रूपरेखा

राजस्थान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि भौगोलिक भू-भाग (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या में आठवां स्थान रखता है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 5.65 करोड़ से बढ़कर 21.44 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के साथ 2011 में, 6.86 करोड़ हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, सम्पूर्ण भारत के औसत 21.9 प्रतिशत से भी कम 14.7 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर ₹ 4,78,160 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनसंख्या) से बढ़कर 67.1 प्रतिशत (2011 की जनसंख्या) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 74 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। **राष्ट्रीय औसत आय ₹ 68,747 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 60,652[1] है।** राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़ें ***परिशिष्ट 1.1*** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

जीएसडीपी, दी गई समय अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त अन्तिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है चूँकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1 : वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत की जीडीपी# (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967[2]	83,53,495[3]	94,61,013[4]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.7	15.2	19.0	15.0	13.3
राज्य की जीएसडीपी* (₹ करोड़ में)	2,30,949	2,65,825	3,41,865[5]	4,16,755[6]	4,78,160[4]
जीएसडीपी की वृद्धि दर प्रतिशतता)	18.5	15.1	28.6	21.9	14.7

स्रोत: # सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं
* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

1 स्त्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार
2 द्वितीय संशोधित अनुमान
3 प्रथम संशोधित अनुमान
4 अग्रिम अनुमान
5 प्रावधिक अनुमान
6 त्वरित अनुमान

राजस्थान ने, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान, 2009-10 को छोड़कर जबकि जीएसडीपी वृद्धि दर कम रही, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2012-13 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर (13.3 प्रतिशत) की तुलना में 14.7 प्रतिशत थी।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते है। वित्त लेखाओं का नया प्रारूप वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया, जो कि दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड । में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है जबकि खण्ड ।। में विस्तृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को ***परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)*** में स्पष्ट किया गया है तथा वित्त लेखों का स्वरूप ***परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)*** में दर्शाया गया है।

1.2 वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

तलिका 1.2 गत वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत करती है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13
अनुभाग-अः राजस्व					
कर राजस्व	*25,377.06*	30,502.65	सामान्य सेवायें	*18,708.52*	20,495.80
कर-भिन्न राजस्व	*9,175.10*	12,133.59	सामाजिक सेवायें	*21,927.87*	25,292.94
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	*14,977.04*	17,102.85	आर्थिक सेवायें	*12,743.89*	17,408.02
भारत सरकार से अनुदान	*7,481.56*	7,173.92	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	*273.03*	265.03
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	**57,010.76**	**66,913.01**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**53,653.31**	**63,461.79**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13
अनुभाग-ब : पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15.73	8.12	पूँजीगत परिव्यय	7,119.25	10,683.57
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,229.31	1,101.56	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	1,109.10	2,411.83
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5,918.40	9,955.00	लोक ऋण की पुनर्अदायगी *	3,490.42	4,706.72
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,27,214.84	1,56,563.24	लोक लेखा संवितरण	1,22,319.61	1,50,175.41
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,087.76	9,785.11	अन्तिम रोकड़ शेष	9,785.11	12,886.72
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**1,40,466.04**	**1,77,413.03**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,43,823.49**	**1,80,864.25**
महा योग (अ+ब)	**1,97,476.80**	**2,44,326.04**	**महा योग (अ+ब)**	**1,97,476.80**	**2,44,326.04**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*** मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों के अलावा**

वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 9,902.25 करोड़ (17.4 प्रतिशत) की वृद्धि, स्व-कर राजस्व (₹ 5,125.59 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹ 2,958.49 करोड़) एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 2,125.81 करोड़) के कारण हुई जो कि भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान (₹ 307.64 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी। राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) 2012-13 में किये गये आंकलन से ₹ 3,766 करोड़ अधिक रही।

- राजस्व व्यय ₹ 9,808.48 करोड़ (18.3 प्रतिशत) से बढ़ा। यह वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,787.28 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,365.07 करोड़) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,664.13 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान (₹ 8 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी। यह वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 1,243 करोड़ अधिक रही।

- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 3,564.32 करोड़ (50.1 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: आर्थिक सेवा क्षेत्र: ₹ 2,675.24 करोड़, सामान्य सेवा क्षेत्र: ₹ 45.69 करोड़ एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र: ₹ 843.39 करोड़ के अन्तर्गत हुई।

- लोक ऋण प्राप्तियाँ (मार्गोपाय अग्रिम के अलावा) में ₹ 4,036.60 करोड़ (68.2 प्रतिशत) से वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण की पुनर्अदायगी में ₹ 1,216.30 करोड़ (34.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 29,348.40 करोड़ (23.1 प्रतिशत) एवं ₹ 27,855.80 करोड़ (22.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- रोकड़ शेष में ₹ 3,101.61 करोड़ (31.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

मई 2005, में राजस्थान सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में अपना 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम' अधिनियमित किया। राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मार्च 2011 एवं सितम्बर 2011 में अधिनियम में संशोधन किया। सरकार ने वर्ष 2012-13 का एमटीएफपीएस विधानमण्डल में रखा (मार्च 2012)। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 8 की अनुपालना में, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक लोक व्यय पुनर्वालोकन समिति का गठन किया (फरवरी 2006)।

राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने और राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम 2005 और एफआरबीएम (संशोधित) अधिनियम 2011 अधिनियमित किया गया। अधिनियम, राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत राजस्व घाटे का उत्तरोतर विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की परिकल्पना करता है। राजवित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजवित्तीय पारदर्शिता लाने तथा मध्यकालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति संचालन करने और उससे सम्बद्ध विषयों हेतु भी प्रावधान हैं। अधिनियम और/अथवा इसके अधीन बने नियमों में उल्लेखित प्रबंध सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके बाद उसे बनाये रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक प्राप्त करना तथा उसके आगे उक्त अनुपात को बनाये रखना या कम करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल बकाया ऋण को जीएसडीपी के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित रखना;

- राज्य अर्थव्यवस्था और सम्बन्धित राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण बनाना।

तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित मुख्य राजकोषीय चर लक्ष्यों को नीचे **तालिका 1.3** में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं वास्तविक

राजकोषीय चर	2012-13			
	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	(+) 928	(+) 3,451
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0	3.0	2.14	1.8
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	38.3	38.3	28.65	24.64

बकाया ऋण एवं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का क्रमश: 24.64 प्रतिशत एवं 1.8 प्रतिशत रहा, जो कि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत था।

1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

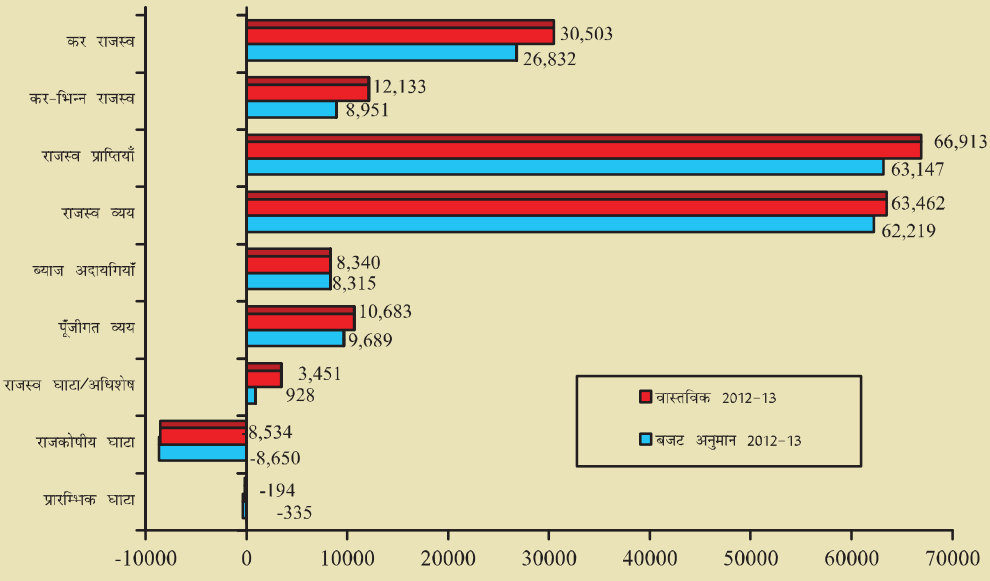
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र राजकोषीय वर्ष विशेष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलनों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, विभिन्न कारणों से - कुछ के सरकार के नियन्त्रण में होने एवं कुछ के सरकार के नियन्त्रण से बाहर होने के कारण, अपेक्षित राजकोषीय उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

राज्य बजट नियमावली, 1995 (2012 में संशोधित) के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों के वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान, नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों के परामर्श से तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते है। तत्पश्चात् वित्त विभाग अनुमानों का समेकन करता है तथा बजट अनुमानों को तैयार करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्ययों में बजट अनुमानों एवं वास्तविकों की तुलना में क्रमश: छ: प्रतिशत एवं दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष में बजटीय राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 2,523 करोड़ की वृद्धि हुई। पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्ययों के अन्तर्गत बजटीय एवं वास्तविक आंकड़ें निम्न **चार्ट 1.1** एवं **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाये गये है।

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय पैमाने: बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

देखा जा सकता है कि अनेक मुख्य पैमानों पर बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य पर्याप्त अन्तर रहा। बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,766 करोड़ (छः प्रतिशत) का सकारात्मक अन्तर कर राजस्व के साथ साथ कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि के कारण था। राज्य कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश) बजट अनुमान से ₹ 3,067 करोड़* (सात प्रतिशत) अधिक रहा। आगे, कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से ₹ 3,182 करोड़ (36 प्रतिशत) अधिक रहा लेकिन भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान बजट अनुमान से ₹ 2,483 करोड़ (26 प्रतिशत) कम रहा। राजस्व प्राप्तियों की लगभग सभी श्रेणियाँ (कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, माल एवं यात्री कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, श्रम एवं रोजगार, मुख्य सिंचाई, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान) बजट अनुमानों से अधिक रहीं।

राजस्व व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में दो प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, विविध सामान्य सेवाऐं, परिवार कल्याण, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, प्राकृतिक आपदा के कारण राहत,

* राज्य कर राजस्व में ₹ 3671 करोड़ की वृद्धि हुई एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में ₹ 604 करोड़ की कमी हुई।

सहकारिता, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, विद्युत तथा नागरिक आपूर्ति इत्यादि में बजट अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय के अन्तर्गत हुई। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष ₹ 928 करोड़ के बजट अनुमान से बढ़कर ₹ 3,451 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा[7] ₹ 8,650 करोड़ के बजट अनुमान से कम होकर ₹ 8,534 करोड़ रह गया, एवं प्रारिम्भक घाटा भी ₹ 335 करोड़ के बजट अनुमान से कम होकर ₹ 194 करोड़ रह गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान, पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों एवं विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत दृष्टिगत हुई।

1.2.3 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि जन संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी के तैयार करने की घोषणा की जिससे प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तद्नुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं 2009-10 के दौरान महिला अधिकारिता विभाग (विभाग) में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यो एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में बजट योजनाओं का समेकन करना एवं जेंडर विश्लेषण एकीकरण को सरल बनाना था। आगे, वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी पहलों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से फोकल जेंडर बजट डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य वित्त विभाग ने संशोधित राज्य बजट नियमावली के पैरा 13.27 के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान को तैयार करने के लिए नये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, विभाग-वार महिलाओं पर किये गये निधियों के आवंटन एवं व्यय का स्थितिजनक विश्लेषण प्रदान करने की दृष्टि से, जेंडर बजट विवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)। राजस्थान सरकार ने बजट आवंटन एवं विनिधान के सम्बन्ध में चार श्रेणियाँ[8] बनाई है

राजस्थान सरकार ने प्रथम बार जेण्डर आधारित बजट वर्ष 2012-13 में नीचे दी गई चार श्रेणियों के अन्तर्गत आवंटित किया:

7 पृष्ठ 193 पर शब्दावली देखें।

8 श्रेणी अ: महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी ब: महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत के मध्य बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी स: महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी द: महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत तक बजट विनिधानित किया गया;

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	आयोजना-भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	योग
1	अ	1,323.59	783.80	120.20	2,227.59
2	ब	7,289.41	7,443.80	781.15	15,514.36
3	स	99.00	119.49	37.38	255.87
4	द	49.98	124.79	34.94	209.71

तथापि, प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत व्यय के विवरण को विभाग द्वारा संधारित/उपलब्ध नहीं कराया गया (सितम्बर 2013), इसके अभाव में जीआरबी के प्रभाव का आंकलन किया जाना संभव नहीं था।

विभाग द्वारा वर्ष 2010-13 के दौरान आयोजित एचएलसी की बैठकों की संख्या की सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई।

1.2.4 बजट में प्रमुख नीतिगत पहल

माननीय मुख्यमंत्री ने 2012-13 के अपने बजट भाषण में कई योजनाओं तथा नीतियों की घोषणा की (26 मार्च 2012)। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई एवं अगस्त 2013) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाहियों की स्थिति का सार नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4: नीतिगत पहल

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
1	लोक निर्माण विभाग	नाबार्ड सहायता से 1,500 गाँवों के लिए ₹ 800 करोड़ की लागत से 3,302 किलोमीटर लंबाई की वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) सड़कों का निर्माण	595 गाँवों के लिए 1,096.35 किलोमीटर सड़क पूर्ण की गई (जुलाई 2013)
2	लोक निर्माण विभाग	₹ 25 लाख की लागत से सभी जिला कलेक्टरों के परिसर में शौचालय और पीने के पानी के साथ प्रतीक्षालयों का निर्माण	33 प्रतीक्षालयों में से 23 पूर्ण किये गये (जुलाई 2013)।
3	निदेशक, स्थानीय निकाय	जोधपुर में ₹ 90 करोड़ की लागत से 90 मिलियन लीटर डेली (एमएलडी) क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के साथ 2012-13 के लिए जोजरी नदी में मिलाये जाने वाले अनुप्रचारित सीवरेज के पानी से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ₹ 25 करोड़ का आवंटन।	सालावास में 50 एमएलडी के एसटीपी का निर्माण कार्य 18 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने हेतु 13 दिसम्बर 2012 को कार्य आदेश जारी किये जिस पर ₹ 1.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है (अगस्त 2013)। बंसी बेन्दा में 40 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण कार्य पर निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन था (अगस्त 2013)

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
4	निदेशक, स्थानीय निकाय	अच्छे पर्यावरण सहित खनन से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ के उचित निपटान के लिए किशनगढ़, मकराना एवं राजसमन्द प्रत्येक नगर हेतु बहुउद्देशीय विकास कार्यो के लिए ₹ 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 23 नवम्बर 2012 को जारी की गई। कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया (मार्च 2013)।
5	पशुपालन विभाग	राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से पाली में ₹ 25 करोड़ की लागत से पशु चारा संयंत्र एवं जयपुर में ₹ 40 करोड़ की लागत से दुग्ध पाउडर संयंत्र स्थापित किया जाना।	पाली संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया गया। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर के साथ निर्माण कार्य के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया और संयंत्र की आवश्यकता का आंकलन किया जा रहा है। दुग्ध पाउडर संयंत्र जयपुर के सम्बन्ध में विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि जिला कलेक्टर जयपुर को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। तथापि, फिर बताया (नवम्बर 2013) गया कि जनवरी 2013 में जयपुर-सीकर हाईवे पर गोविन्दगढ़ गाँव में भूमि क्रय कर ली गयी है और संयंत्र हेतु सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है (अगस्त 2013)। उत्तर विरोधाभाषी है, इसके लिए विभाग से सही स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2013)। उत्तर प्रतीक्षित है।
6	पंचायती राज विभाग	लगभग तीन लाख लोगों के स्व-रोजगार के लिए ₹ 300 करोड़ का प्रावधान राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना (आरआरएलपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) और पश्चिमी राजस्थान में गरीबी का शमन (एमपॉवर) के लिए किया गया।	एमपॉवर परियोजना जोधपुर संभाग के छः शहरों के लिए लागू की गई एवं 2012-13 के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत 34,045 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त 11,000 व्यक्तियों को आरआरएलपी के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। भारत सरकार द्वारा एनआरएलपी के लिए वार्षिक कार्य योजना (2012-14) का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।
7		राज्य सरकार के 2 अक्टूबर 2010 के निर्णय के माध्यम से पाँच विभागों से सम्बन्धित निधियों, कार्यो एवं पदाधिकारियों	19,846 लोअर डिवीजन क्लर्क एवं अन्य संवर्गो में 4,080 नये पदों को सृजित किया गया, जिनके विरूद्ध

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
		के स्थानान्तरण द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के बाद, पंचायती राज संस्थानों द्वारा महानरेगा सहित मुख्य योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है जिसके लिए तन्त्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत 23,000 से अधिक पदों का सृजन किया जायेगा।	अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क के 202 पदों एवं ग्रुप 'डी' के 143 पदों को भरा गया और शेष पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर थी।
8		प्रत्येक ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण और लेखों के संधारण इत्यादि के लिए एक कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा जिन पर लगभग ₹ 25 करोड़ का व्यय किया जाएगा।	राजकॉम्प को 6,528 कम्प्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस के क्रय आदेश जारी किये गये (7 दिसम्बर 2012) जिसके लिए ₹ 12.46 करोड़ आवंटित किये गये। उक्त सामानों की आपूर्ति के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9		जनप्रतिनिधि और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर प्रत्येक में ₹ 2 करोड़ की लागत से नया पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र (पीटीसी) स्थापित किया जाना।	प्रत्येक जिला परिषदों, कोटा, भरतपुर और बीकानेर के पीडी खातों में ₹ 1.5 करोड़ हस्तान्तरित किये जा चुके है। भूमि आवंटन तथा निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन था।
10		प्रत्येक जिला परिषद परिसर में ₹ 25 लाख की लागत से जनता के लिए विश्राम गृहों का निर्माण।	लागत संशोधित कर ₹ 50 लाख करने के बाद, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 29 जिला परिषदों में विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा था (अगस्त 2013)।

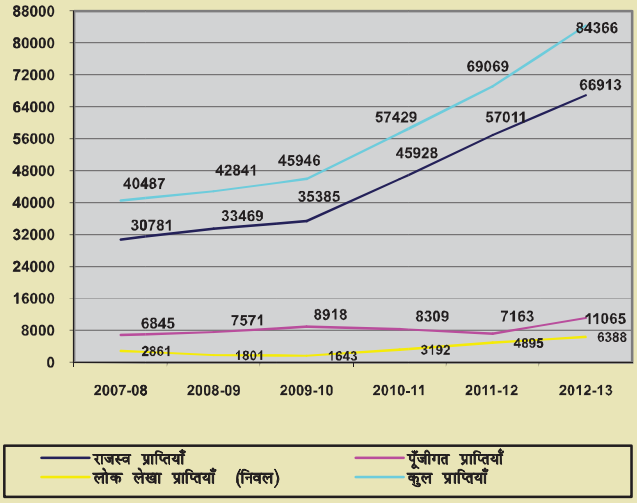
1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

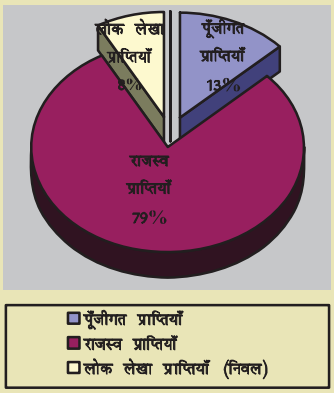
राजस्व एवं पूँजी प्राप्तियों के दो घटक हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का आधार बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखे में दर्ज चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2007-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति

दर्शाती है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



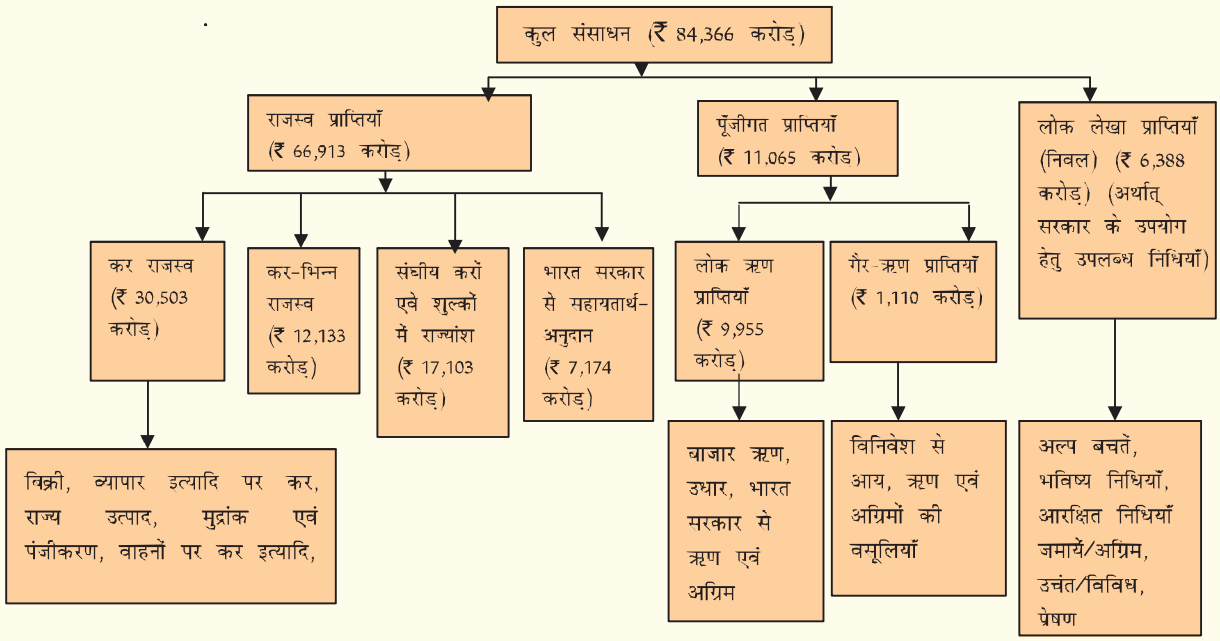
चार्ट 1.3 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोतः वित्त लेखे

संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 2007-08 में ₹ 40,487 करोड़ से 2012-13 में 108 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,366 करोड़ हो गई तथा गत वर्ष की तुलना में ₹ 15,297 करोड़ (22 प्रतिशत) से बढ़ी। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 79 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों का अधिक विवरण नीचे **पैरा 1.4** में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियाँ शामिल हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। जो कि वर्ष 2007-13 के दौरान औसतन कुल प्राप्तियों का छः प्रतिशत थी। निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ जो कि 2007-08 में कुल ₹ 2,861 करोड़ थी 2012-13 में बढ़कर ₹ 6,388 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादिः ₹ 2,164 करोड़, जमा तथा अग्रिमः ₹ 3,416 करोड़ तथा आरक्षित निधिः ₹ 781 करोड़ में हुयी। आरक्षित निधियों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे **पैरा 1.10.3** में दिया गया है।

पूँजीगत प्राप्तियाँ 2007-08 में ₹ 6,845 करोड़ से 2012-13 में 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 11,065 करोड़ हो गई। पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की 13 प्रतिशत रही। ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,037 करोड़ से बढ़ी। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमशः 98 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण में गत वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 41 प्रतिशत की कमी राज्य आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कम ऋण जारी किये जाने के कारण हुई।

1.3.2 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार अति महत्वपूर्ण माने गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों[9] को अन्तरित कर रही है। वर्तमान प्रक्रिया में इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है अतः इनका राज्य के वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस प्रकार, राज्य के वित्त लेखे राज्य सरकार के संसाधनों की समग्र स्थिति को नहीं दर्शाते है।

वर्ष के दौरान, ₹ 7,826 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त 49 कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई। जिसमें से, ग्रामीण विकास[10] के लिए ₹ 5,169 करोड़ (66 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 1,535 करोड़ (20 प्रतिशत) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

[9] राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित है जिसको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

[10] ₹ 2,585 करोड़: महानरेगा एवं ₹ 1,406 करोड़: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

लिए ₹ 502 करोड़ (6 प्रतिशत) अन्तरित किये गये। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों को ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है।

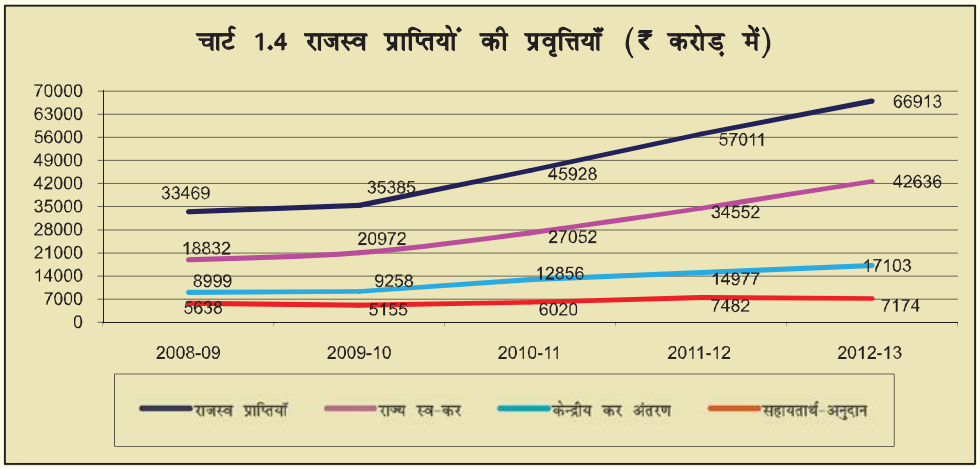
यह दृष्टिगत हुआ कि कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई निधियाँ (केन्द्रीय अंश) गत वर्ष (₹ 6,994 करोड़) की तुलना में ₹ 832 करोड़ से बढ़ गई। यह वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 1,395 करोड़) तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (महानरेगा) (₹ 966 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 516 करोड़), फसल बीमा (₹ 337 करोड़), इन्दिरा आवास योजना (₹ 208 करोड़), साक्षर भारत मिशन (₹ 81 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 71 करोड़), सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (₹ 68 करोड़), मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (काम्बेटिंग)(₹ 67 करोड़), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 60 करोड़), मॉडल स्कूल (₹ 50 करोड़), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (₹ 47 करोड़) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधायों के लिए प्रावधान (₹ 27 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुई।

वर्तमान प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन संसाधनों का सम्पूर्ण चित्रण नहीं करती है। भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरण से इन एजेन्सियों द्वारा निधियों की उपयोगिता पर शासकीय नियंत्रण की कमी का जोखिम रहता है।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

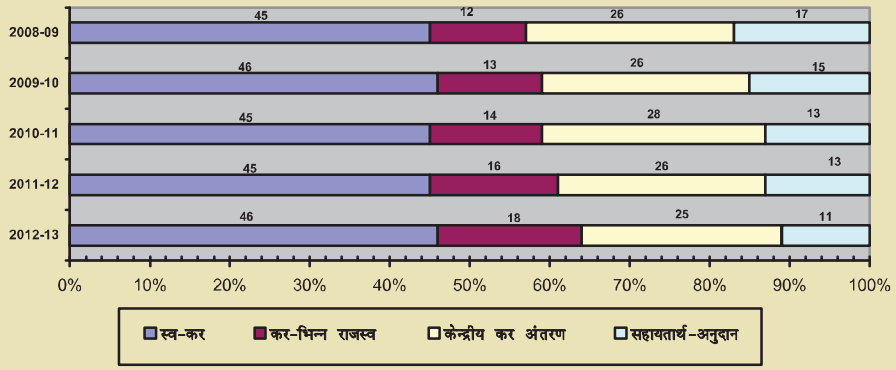
सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-11** में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमश: **चार्ट 1.4** एवं **चार्ट 1.5** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट 1.4 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.5 वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन (अंश प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ में 2008-09 में ₹ 33,469 करोड़ से 2012-13 में ₹ 66,913 करोड़ की उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टिगत हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 60 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2008-13 के दौरान 45 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व 2008-09 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18 प्रतिशत हो गया।

नीचे **तालिका 1.5** में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गयी है:

तालिका 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**33,469**	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.7	5.7	29.8	24.1	17.4
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.6	9.8	26.5	22.3	20.2
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.5	13.3	13.4	13.7	14.0
उत्प्लावकता अनुपात[11]					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.5	0.4	1.0	1.1	1.2
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.7	0.6	0.9	1.0	1.4
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	0.7	0.6	1.1	1.1	0.9

स्रोत: वित्त लेखे

[11] उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है।

राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर के सीधे समानुपाती है, इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण व्यापक रूप से परिवर्तित हुई। वर्ष 2008-10 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कम होने से राजस्व उत्प्लावकता अनुपात कम रहा। राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो कि 2009-10 में निम्नतम 0.4 था 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में अधिक वृद्धि के कारण बढ़कर 1.0 हो गया। इसके बाद भी यह गत वर्ष 1.1 की तुलना में 2012-13 में बढ़कर 1.2 हो गया।

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य का स्व-कर राजस्व, प्राप्तियों का सबसे बड़ा घटक था एवं इसकी वृद्धि दर की प्रवृत्ति ने राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर 2009-10 में सबसे कम थी। वर्ष 2012-13 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर में गत दो वर्षो की तुलना में कमी हुई। तथापि, जीएसडीपी की वृद्धि दर में कमी के कारण, जीएसडीपी के सन्दर्भ में स्व-कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात बढ़कर 1.4 हो गया। स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जीएसडीपी के सन्दर्भ में 2009-10 में सबसे कम एवं 2012-13 में सबसे अधिक था। 2012-13 में गत वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई एवं जीएसडीपी 7.2 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई **(तालिका 1.1)** और इसने जीएसडीपी के सन्दर्भ में, राजस्व उत्प्लावकता को एवं राज्य स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता को प्रभावित किया जैसाकि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 17 प्रतिशत की वृद्धि राज्य के स्व-करों (20 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (32 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय कर अन्तरण (14 प्रतिशत) के वृद्धि के पेटे थी जो कि सहायतार्थ-अनुदान (4 प्रतिशत) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी ***राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 66,913 करोड़) राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 63,147 करोड़) से 6 प्रतिशत अधिक रही (चार्ट 1.1)।***

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से किया गया।

नीचे **तालिका 1.6** में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ की गयी है:

तालिका 1.6: 2012-13 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ
कर राजस्व	25,199	26,832	**30,503**
कर-भिन्न राजस्व	6,311	8,951	**12,133**

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 21 (₹ 5,304 करोड़) एवं 92.3 (₹ 5,822 करोड़) प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्यों से क्रमशः 13.7 (₹ 3,671 करोड़) एवं 35.5 (₹ 3,182 करोड़) प्रतिशत अधिक रही।

1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर 61 प्रतिशत के योगदान के साथ राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (13 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (11 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (7 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे **तालिका 1.7** एवं **चार्ट 1.6** में दी गई है:

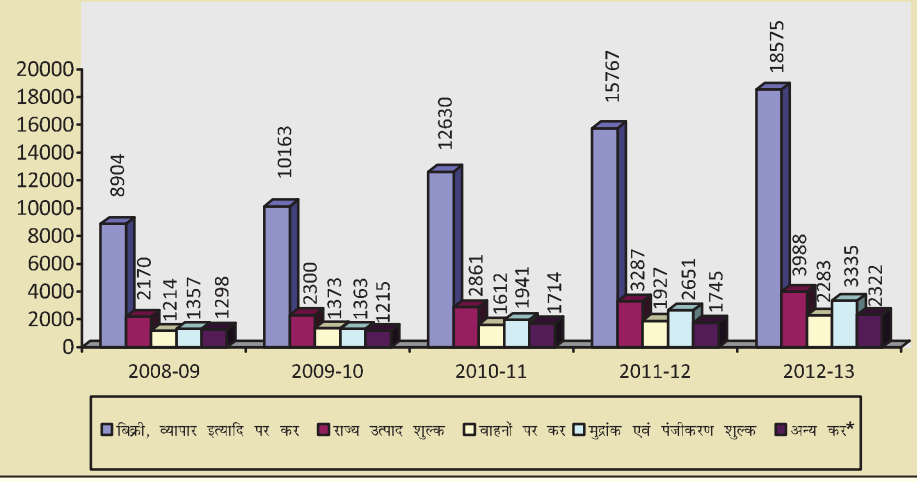
तालिका 1.7: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,904	10,163	12,630	15,767	18,575	17.8
राज्य उत्पाद शुल्क	2,170	2,300	2,861	3,287	3,988	21.3
वाहनों पर कर	1,214	1,373	1,612	1,927	2,283	18.5
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,357	1,363	1,941	2,651	3,335	25.8
भू-राजस्व	163	148	222	209	304	45.5
माल तथा यात्री कर	190	176	231	220	249	13.2
अन्य कर[12]	945	891	1,261	1,316	1,769	34.4
योग	**14,943**	**16,414**	**20,758**	**25,377**	**30,503**	**20.2**

स्रोत: संबंधित वर्षो के वित्त लेखे

चार्ट 1.6 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य स्व कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



*** अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर शामिल है**

[12] अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के माध्यम से राजस्व, न केवल कर राजस्व का मुख्य सहयोगी (61 प्रतिशत) रहा, अपितु इसमें गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। वर्ष 2012-13 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वृद्धि दर (18 प्रतिशत) गत वर्ष (25 प्रतिशत) की तुलना में 7 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 16,550 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 18,575 करोड़ थी।

राज्य उत्पाद शुल्क की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में सबसे कम 6 प्रतिशत थी 2010-11 के दौरान 24 प्रतिशत हुयी, 2011-12 में वृद्धि दर एक बार फिर गिरकर 15 प्रतिशत रह गई। राज्य उत्पाद शुल्क 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: विदेशी शराब, स्प्रिट की बिक्री एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी। 2012-13 के दौरान राजस्व वसूली (₹ 3,988 करोड़) अनुमान (₹ 3,250 करोड़) से 22.7 प्रतिशत अधिक रही।

राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वाहनों पर कर (₹ 2,283 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,335 करोड़) में भी 25.8 प्रतिशत की वृद्धि स्टाम्प-न्यायिकेत्तर की अधिक बिक्री तथा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्कों से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

संग्रहण की लागत

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किये गये व्यय एवं ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशतता सकल भारत की 2010-11 एवं 2011-12 के लिए संग्रहण पर व्यय की सकल संग्रहण से सम्बद्ध औसत प्रतिशतता के साथ **तालिका 1.8** में निम्न प्रकार है:

तालिका 1.8: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	सकल भारत की औसत प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2010-11	12,630	87	0.69	0.75
	2011-12	15,767	85	0.54	0.83
	2012-13	18,575	89	0.48	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2,861	88	3.08	3.05
	2011-12	3,287	83	2.53	2.98
	2012-13	3,988	83	2.08	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2010-11	1,612	31	1.92	3.71
	2011-12	1,927	41	2.13	2.96
	2012-13	2,283	40	1.75	उपलब्ध नहीं
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	2010-11	1,941	34	1.75	1.60
	2011-12	2,651	43	1.62	1.89
	2012-13	3,335	49	1.47	उपलब्ध नहीं

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) कार्यालय को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

गत वर्ष की तुलना में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर एवं मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क में कम हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व के उक्त सभी चारों शीर्षों में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत सकल भारत की औसत प्रतिशतता की तुलना में कम था।

1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे ***तालिका 1.9*** एवं ***चार्ट 1.7*** में दिखाया गया है:

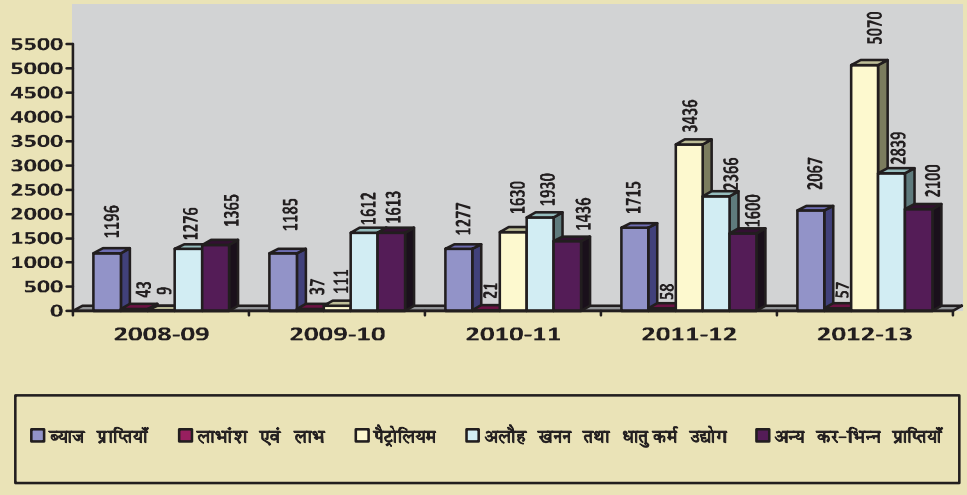
तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
ब्याज प्राप्तियाँ	1,196	1,185	1,277	1,715	2,067	20.6
लाभांश एवं लाभ	43	37	21	58	57	(-)1.7
पैट्रोलियम	9	111	1,630	3,436	5,070	47.6
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,276	1,612	1,930	2,366	2,839	20.0
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1,365	1,613	1,436	1,600	2,100	31.2
योग	**3,889**	**4,558**	**6,294**	**9,175**	**12,133**	**32.2**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.7 2008-09 से 2012-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



कर-भिन्न राजस्व (₹ 12,133 करोड़), जो कि 2012-13 में कुल प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत (₹ 2,958 करोड़) की वृद्धि हुई। पैट्रोलियम प्राप्तियाँ, कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण रॉयल्टी की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप, ₹ 1,634 करोड़ से बढ़ी। ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यत: विभागीय सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त ब्याज के पुस्तकीय समायोजन तथा रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति के कारण हुयी।

निवेश पर प्रतिलाभ 2011-12 के 0.4 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 0.3 प्रतिशत रह गया।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) का आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्य की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2011-12			2012-13		
		एनटीआरआर	एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत में)	एनटीआरआर	एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत में)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	7.80	5,053.91	0.15	10.99	5,642.60	0.19
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	59.38	1,932.75	3.07	96.04	2,357.56	4.07
3	जलापूर्ति तथा सफाई	254.03	1,625.26	15.63	258.61	1,697.08	15.24
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	109.87	383.33[13]	28.66	102.61	484.37[13]	21.18
5	सड़क तथा सेतु	5.66	770.62	0.73	3.17	796.58	0.40

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में 2011-12 के दौरान ₹ 109.87 करोड़ की प्राप्तियाँ 2012-13 में 6.6 प्रतिशत गिरकर ₹ 102.61 करोड़ रह गई जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 7.48 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी।

[13] ब्याज अदायगियाँ 2011-12: ₹ 961.67 करोड़ एवं 2012-13: ₹ 1,002.86 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त।

वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई की वास्तविक वसूली दर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (32 प्रतिशत) से कम (21.18 प्रतिशत) रही।

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2008-09 में ₹ 5,638 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 7,174 करोड़ हो गया:

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजना भिन्न अनुदान	1,272	1,715	1,716	2,901	2,675
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,077	1,606	2,488	2,416	2,316
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	67	128	165	166	92
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,222	1,706	1,651	1,999	2,091
योग	**5,638**	**5,155**	**6,020**	**7,482**	**7,174**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	14.5	(-) 8.6	16.8	24.3	(-) 4.1
कुल अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	16.8	14.6	13.1	13.1	10.7

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान (₹ 7,174 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत (₹ 308 करोड़) की कमी हुई। यह कमी आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 226 करोड़), राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 100 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 74 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 92 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुयी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 2,409.50 करोड़ (राज्य विशिष्ट अनुदान: ₹ 37.50 करोड़ सहित) आयोजना-भिन्न अनुदान के अन्तर्गत निर्मोचित की गई।

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों में राज्यों के 30.50 प्रतिशत हिस्से (बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमश: 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय करों का हिस्सा (₹ 17,103 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 17,707 करोड़) से ₹ 604 करोड़ कम था।

केन्द्रीय कर अन्तरण में गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,126 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि राजस्व प्राप्तियों का 25.6 प्रतिशत था। यह वृद्धि निगम कर (₹ 248 करोड़), सेवा कर (₹ 710 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 245 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 684 करोड़) एवं संघ उत्पाद शुल्क (₹ 251 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि सम्पदा शुल्क (₹ 12 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी।

1.4.4 तेरहवें वित्त आयोग की अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2012-13 के दौरान, निम्न **तालिका 1.12** में दर्शित क्षेत्रों में, राज्य को ₹ 2,776.60 करोड़ अन्तरित करने की सिफारिश की थी।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2012 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2012-13 में वास्तविक निर्मोचन	2012-13 तक प्राप्त अनुदान की तुलना में 2012-13 के दौरान व्यय	2012-13 तक निर्मोचित के सन्दर्भ में अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2012-13 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6) - 7=8
	स्थानीय निकायें						
	(i) *पीआरआई को अनुदान*	3,938.64	838.23	66.93	880.00	946.95	(-) 0.02
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*2,575.24*	*497.15*	*(-) 0.02*	*522.15*	*522.15*	*(-) 0.02*
	(ब) पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान	*1,363.40*	*341.08*	*66.95*	*357.85*	*424.80*	-
	(ii) *यूएलबी को अनुदान*	1,194.26	254.14	21.56	251.71	273.63	(-) 0.36
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*780.86*	*150.72*	*(-) 0.36*	*158.33*	*158.33*	(-) 0.36
	(ब) यूएलबी को सामान्य निष्पादन अनुदान	*413.40*	*103.42*	*21.92*	*93.38*	*115.30*	-
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	7.20	0.37	7.20	6.85	0.72
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	*18.20*	*3.60*	*0.37*	*3.60*	*3.43*	0.54
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	*12.70*	*3.60*	-	*3.60*	*3.42*	0.18
	योग (1)	**5,163.80**	**1,099.57**	**88.86**	**1,138.91**	**1,227.43**	**0.34**
(2)	**आपदा राहत**						
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	496.67	-	496.67	496.67	-
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	6.00	2.53	6.00	2.50	6.03
	योग (2)	**2,519.30**	**502.67**	**2.53**	**502.67**	**499.17**	**6.03**
(3)	**परिणाम में सुधार के लिए अनुदान**						
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	53.70	63.22	-	16.84	46.38
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	26.98	13.49	-	-	13.49
	(iii) जिला नवाचार निधि*	33.00	-	16.50	-	2.94	13.56
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	6.60	6.17	-	5.12	1.05
	(v) कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस	10.00	0.00	2.50	-	2.36	0.14
	योग (3)	**479.41**	**87.28**	**101.88**	**-**	**27.26**	**74.62**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2012 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2012-13 में वास्तविक निर्मोचन	2012-13 तक प्राप्त अनुदान की तुलना में 2012-13 के दौरान व्यय	2012-13 तक निर्मोचित के सन्दर्भ में अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2012-13 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6) - 7=8
(4)	**पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान**						
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	22.08	3.23	15.13	17.28	1.08
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	56.00	-	-	56.00
	योग (4)	**312.32**	**78.08**	**59.23**	**15.13**	**17.28**	**57.08**
(5)	**प्रारम्भिक शिक्षा**	**1,766.00**	**356.00**	**-**	**356.00**	**356.00**	**-**
(6)	**सड़क एवं पुल**	**1,509.00**	**353.00**	**-**	**353.00**	**353.00**	**-**
(7)	**राज्य विशिष्ट अनुदान**	**1,200.00**	**300.00**	**197.17**	**37.50**	**231.85**	**2.82**
	महायोग (1 से 7)	12,949.83	2,776.60	449.67	2,403.21	2,711.99	140.89

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

* **वर्ष 2011-12 के दौरान प्रथम किश्त के पेटे ₹ 16.50 करोड़ की राशि निर्मोचित की गई। तथापि, प्रथम किश्त के उपयोग करने के बाद ही द्वितीय किश्त निर्मोचित की जानी थी।**

मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने ₹ 2,776.60 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की तुलना में, राज्य विशिष्ट अनुदान (₹ 262.50 करोड़), जल क्षेत्र प्रबंधन (₹ 56 करोड़), वनों की सुरक्षा (₹ 6.95 करोड़), न्याय वितरण में सुधार (₹ 53.70 करोड़), यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन (₹ 26.98 करोड़) एवं राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों के सुधार (₹ 6.60 करोड़) के अन्तर्गत ₹ 412.73 करोड़ के कम निर्मोचन के कारण, कुल ₹ 2,403.21 करोड़ (भारत सरकार से शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए प्राप्त अनुदान ₹ 6.29 करोड़ को छोड़कर) का अनुदान, प्राप्त किया जोकि स्थानीय निकायो के अन्तर्गत अधिक निर्मोचन (₹ 39.34 करोड़) से प्रतिसन्तुलित हुआ। इन सभी प्रकरणों में, वर्ष 2010-11 या 2011-12 के दौरान प्रथम अंतरण/किश्त बिना किसी शर्त के जारी की जानी थी तथा अगली किश्तें निश्चित शर्तो, जिनका विवरण जैसाकि प्रत्येक अनुदान के सामने नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है, को पूर्ण किये जाने के बाद निर्मोचित की जानी थी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को राज्य द्वारा पूर्ण नहीं किया गया जिससे आगामी किश्तें निर्मोचित नहीं की गई।

तालिका 1.13: तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान के निर्मोचन के लिए शर्तें

अंतरण	अगली किश्त के निर्मोचन के लिए शर्त
यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान	विभिन्न मानदण्डों पर आधारित पुनर्भरण आधार पर निर्मोचित की जायेगी।
न्याय वितरण में सुधार	राज्य द्वारा राज्य वाद नीति पेश किये जाने के बाद निर्मोचित की जायेगी।
सरकारी कर्मचारियो और पेंशनरो के लिए डाटाबेस	डाटाबेस को तीन वर्षो में पूर्ण किया जाना है। बकाया राशि राज्य द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद दी जाएगी कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया है।
जल क्षेत्र प्रबंधन*	राज्य 2011-12 तक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित करे और 31 मार्च 2012 तक अधिसूचित करे।
राज्य विशिष्ट अनुदान	राज्य द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने की अवधि के दौरान रोकी जायेगी। यदि राज्य द्वारा वर्ष के किसी भाग में उल्लंघन किया गया, तो यह अनुदान उस अनुपात तक कम किया जायेगा।

*** प्रथम किश्त निर्मोचित करने के लिए शर्त**

वर्ष 2012-13 के दौरान, उपलब्ध अनुदान राशि ₹ 2,852.88 करोड़ (मार्च 2012 के अन्त में अनुपयोजित अनुदान राशि: ₹ 449.67 करोड़; वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुदान राशि: ₹ 2,403.21 करोड़) के समक्ष संबंधित राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत राशि रूपये 2,711.99 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया गया। मार्च 2013 तक ₹ 140.89 करोड़ की अनुदान राशि मुख्यत: जल क्षेत्र प्रबंधन ₹ 56 करोड़; न्याय आपूर्ति में सुधार: ₹ 46.38 करोड़; जिला नवाचार निधि: ₹ 13.56 करोड़ तथा यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन: ₹ 13.49 करोड़ अनुपयोजित रही।

1.4.5 छोड़ा गया राजस्व

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य द्वारा विभिन्न करों के अन्तर्गत बट्टा माफी, छूट, आस्थगित इत्यादि के कारण छोड़े गये राजस्व पर विभागों से संकलित सूचना निम्नानुसार थी:

- मुद्रांक एवं पंजीकरण विभाग ने बॉण्डस, गैर-परिवर्तनीय बॉण्डस, अंश प्रमाणपत्रों आदि को सम्मिलित करते हुये दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क माफ किया जिससे ₹ 53.80 करोड़[14] का राजस्व छोड़ा गया।

- परिवहन विभाग ने विभिन्न लाभार्थियों यथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत स्कूटी के नि:शुल्क वितरण का लाभ लेने वाली 500 छात्राओं को एक मुश्त लगने वाले कर एवं अधिभार के भुगतान, उर्स के दौरान अजमेर में अन्य राज्यों से आने जाने वाले सभी यात्री वाहनों पर ₹ 3,500 से अधिक राशि का देय मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर एवं अधिभार, महावीर विकलांग सहायता समिति, जोधपुर द्वारा चलाये जा रहे महेन्द्रा जायलो वाहन पर मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर एवं उस पर अधिभार के भुगतान की राशि पर ₹ 2.08 करोड़ की छूट प्रदान की।

- भू-राजस्व विभाग ने छोड़े गये राजस्व से सम्बन्धित मात्र दो जिलों यथा जोधपुर (₹ 4.90 करोड़) एवं बीकानेर (शून्य) की सूचना उपलब्ध करवाई।

- खनन एवं भूविज्ञान तथा राज्य उत्पाद विभागों के संबंध में सूचना शून्य थी।

- वाणिज्यिक कर विभाग से सूचना प्रतीक्षित रही।

[14] (1) राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम: ₹ 10.00 करोड़, (2) आरआरवीपीएनएल: ₹ 7.87 करोड़, (3) जयपुर मैट्रो रेल निगम लिमिटेड: ₹ 0.15 करोड़ (4) मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड: ₹ 20.11 करोड़, (5) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़, (6) आरएफसी: ₹ 2.00 करोड़, (7) आरआरवीपीएनएल: ₹ 9.62 करोड़, (8) आरएफसी: ₹ 4.00 करोड़ एवं (9) राजस्थान राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.04 करोड़।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2008-13 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,571	8,918	8,309	7,163	11,065
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4	9	13	16	8
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	89	112	319	1,229	1,102
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,478	8,797	7,977	5,918	9,955
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	47.7	17.6	- 9.3	- 25.8	68.2
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	- 94.8	30.1	174.4	275.0	- 10.8
जीएसडीपी की वृद्धि दर	18.5	15.1	28.6	21.9	14.7
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.6	17.8	- 6.8	- 13.8	54.5

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2012-13 में 2008-09 से 46 प्रतिशत एवं गत वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियाँ

कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियों का बड़ा भाग मुख्यत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 323 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 280 करोड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 275 करोड़, राजस्थान राज्य सहकारी बीज उत्पाद संघ (तिलम संघ): ₹ 73 करोड़, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड: ₹ 38 करोड़, राज्य सरकार के पेन्शनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेन्शनर मेडीकल फण्ड: ₹ 36 करोड़, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड: ₹ 24 करोड़ एवं राजस्थान वित्त निगम: ₹ 19 करोड़ रहा। गत वर्ष की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियाँ ₹ 127 करोड़ कम हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत (₹ 4,174 करोड़) से बढ़ी जबकि बाजार ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,541 करोड़ (79 प्रतिशत) से बढ़ी।

1.5.4 भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम

भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ 2012-13 में 2008-09 के ₹ 326 करोड़ की तुलना में 39 प्रतिशत कम होकर ₹ 200 करोड़ रह गई। यह गत वर्ष से

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्जे के अन्तर्गत 41 प्रतिशत (₹ 137 करोड़) से कम हुई।

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15: लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,106	3,975	5,130	5,630	7,171
ब. आरक्षित निधि	1,945	-267	873	1,638	1,568
स. जमा तथा अग्रिम	81,808	99,446	1,07,666	1,14,301	1,40,748
द. उचन्त तथा विविध	150	75	11	27	43
य. प्रेषण	6,571	6,128	5,810	5,619	7,033
योग	**93,580**	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**

स्रोत: वित्त लेखे

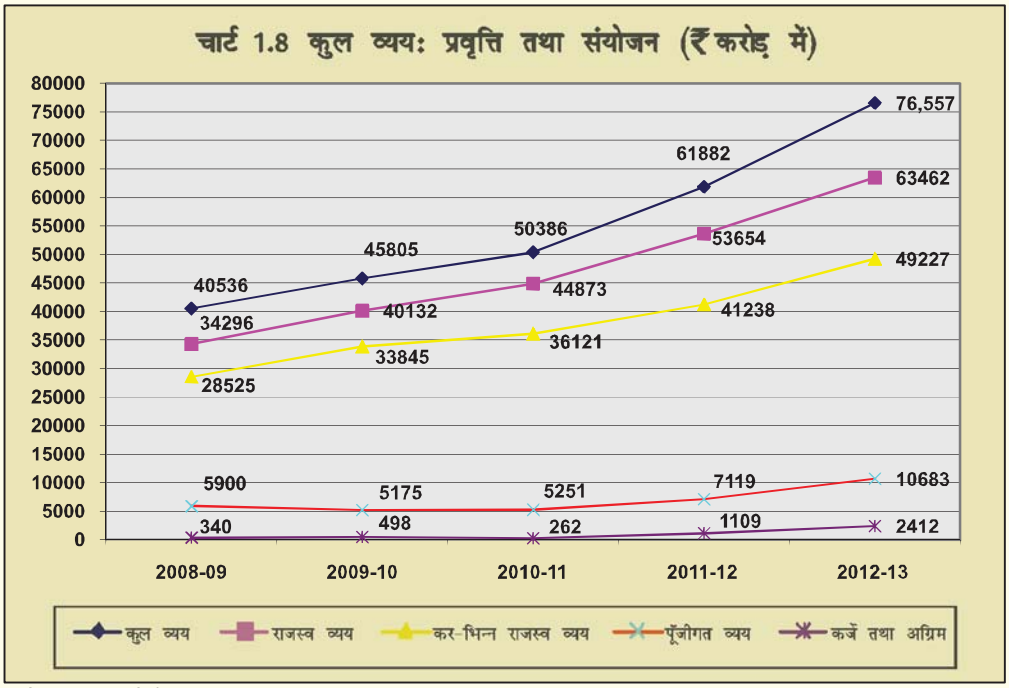
लोक लेखा प्राप्तियों में 2008-13 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित हुई एवं गत वर्ष की तुलना में ₹ 29,348 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: जमा तथा अग्रिमों (₹ 26,447 करोड़) के अन्तर्गत थी।

1.7 संसाधनों का उपयोग

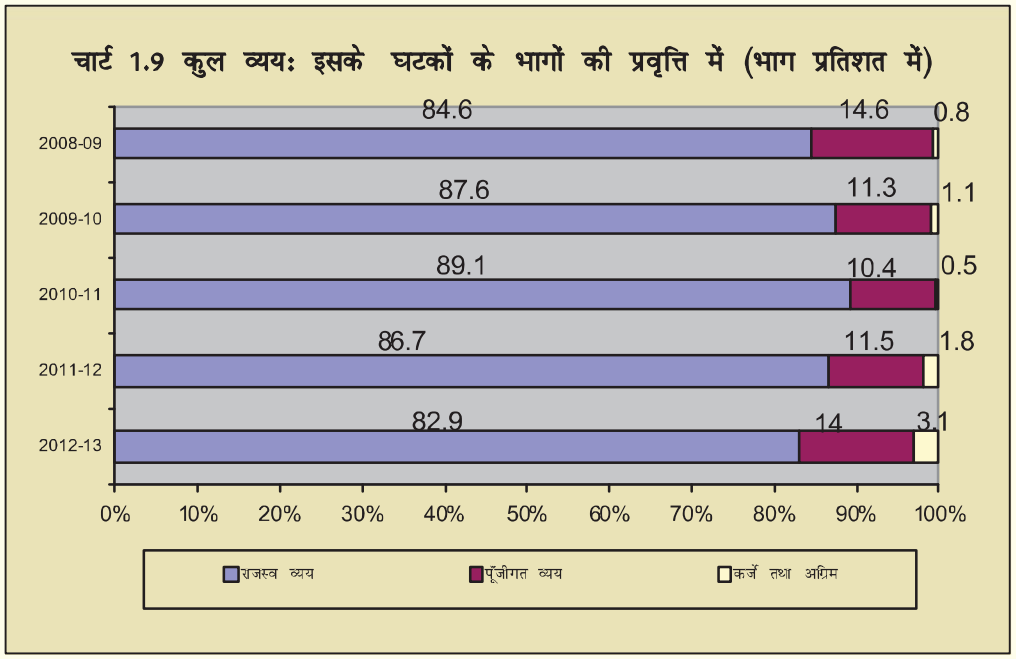
राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूँकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं दृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।

1.7.1 व्यय का संयोजन तथा वृद्धि

नीचे दिखाये गये **चार्ट 1.8** पाँच वर्षों (2008-13) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और **चार्ट 1.9** एवं **1.10** क्रमश: 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों के अनुसार व्यय' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हैं।



स्रोतः वित्त लेखे

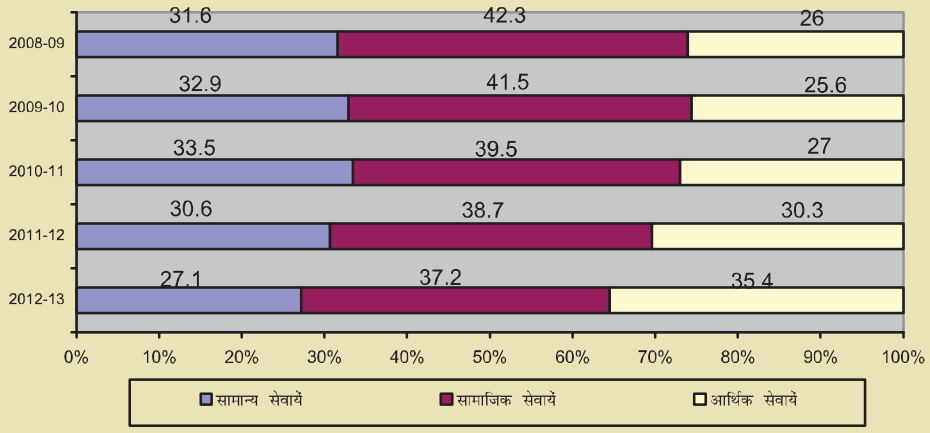


कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय 2008-09 से 2012-13 में 89 प्रतिशत एवं 2011-12 की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2011-12 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 9,808 करोड़ (18 प्रतिशत) से, पूँजीगत व्यय ₹ 3,564 करोड़ (50 प्रतिशत) से तथा ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्अदायगी ₹ 1,303 करोड़ (117 प्रतिशत) से बढ़ा। वास्तविक कुल व्यय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलनों

(₹ 71,956.61 करोड़) की तुलना में 6 प्रतिशत (₹ 4,601 करोड़) से बढ़ा जो कि मुख्यत: विद्युत परियोजना पर ₹ 4,313 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹ 1,164 करोड़, पूँजीगत व्यय: ₹ 1,320 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम: ₹ 1,829 करोड़) की वृद्धि के कारण हुआ।

चार्ट 1.10 कुल व्यय: "कार्यकलापों" के अनुसार प्रवृत्ति (भाग प्रतिशत में)



कुल व्यय में उक्त घटकों से सम्बन्धित अंश का चलन यह इंगित करता है कि जबकि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं का अंश 2008-09 में 31.6 प्रतिशत तथा 42.3 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में क्रमश: 27.1 प्रतिशत तथा 37.2 प्रतिशत रह गया, आर्थिक सेवाओं का अंश 2008-09 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 35.4 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं पर माना गया गैर-विकासात्मक व्यय 2011-12 में 30.6 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 27.1 प्रतिशत हुआ, यह गत वर्ष की तुलना में 3.5 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुआ। दूसरी ओर, विकासात्मक व्यय, यथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं दोनों पर मिलाकर व्यय 2011-12 में 69 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 72.6 प्रतिशत हो गया, यह गत वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ा।

1.7.2 राजस्व व्यय

कुल व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय में प्रवाहित हो जाता है। यह वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाये रखने एवं पिछले दायित्व के भुगतान पर व्यय होता है और इस प्रकार राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती।

राजस्व व्यय 2008-09 के ₹ 34,296 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 63,462 करोड़ हो गया। विभिन्न निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदान को राजस्व व्यय में इस पर विचार किये बिना कि निकायों/संगठनों द्वारा इसे किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, वर्गीकृत किया गया। राजस्व व्यय की जीएसडीपी से प्रतिशतता

2008-09 में 14.9 से कम होकर 2012-13 में 13.3 रह गयी। तथापि, यह वर्ष 2011-12 की तुलना में 12.9 प्रतिशत से बढ़ी। राजस्व घाटे का 2008-09 एवं 2009-10 में जीएसडीपी से अनुपात क्रमश: 0.4 एवं 1.8 था और राज्य 2010-11 और इसके बाद राजस्व अधिशेष की ओर अग्रसर रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत था। यह राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये अनुमानों (₹ 62,219 करोड़) से 2 प्रतिशत अधिक रहा।

1.7.3 पूँजीगत व्यय

₹ 10,683 करोड़ का पूँजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 9,689 करोड़) से 10 प्रतिशत अधिक रहा। पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत (₹ 3,564 करोड़) से बढ़ा एवं 2008-09 के ₹ 5,900 करोड़ से 81 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 10,683 करोड़ हो गया। सरकार ने 2012-13 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र: ₹ 3,868 करोड़, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति क्षेत्र: ₹ 120 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र: ₹ 214 करोड़ एवं शहरी विकास: ₹ 979 करोड़ में विनिवेश किया।

1.7.4 आयोजनागत सहायता का विचलन

₹ 62,414 करोड़ (₹ 66,913 करोड़ - ₹ 2,316 करोड़ - ₹ 2,183 करोड़) ***(परिशिष्ट 1.4)*** की राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) एनपीआरई के ₹ 49,227 करोड़ **(चार्ट 1.8)** से ₹ 13,187 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया।

1.7.5 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यत: ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन पर व्यय तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2008-2013 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न **तालिका 1.16** एवं **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	11,053	13,348	13,730	14,829	16,825
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष **	650	682	840	1,018	770
कुल वेतन एवं मजदूरी	11,703 (35.0)	14,030 (39.7)	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595* (26.3)
ब्याज अदायगियाँ	6,224 (18.6)	6,769 (19.1)	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)
पेन्शन पर व्यय	3,322 (9.9)	4,887 (13.8)	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अर्थ-सहाय्य	1,435 (4.3)	1,493 (4.2)	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**22,684 (67.8)**	**27,179 (76.8)**	**29,317 (63.8)**	**32,859 (57.6)**	**38,257 (57.2)**
अन्य घटक	11,612 (34.7)	12,953 (36.6)	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205*** (37.7)
कुल राजस्व व्यय	**34,296**	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**
राजस्व प्राप्तियाँ	**33,469**	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।

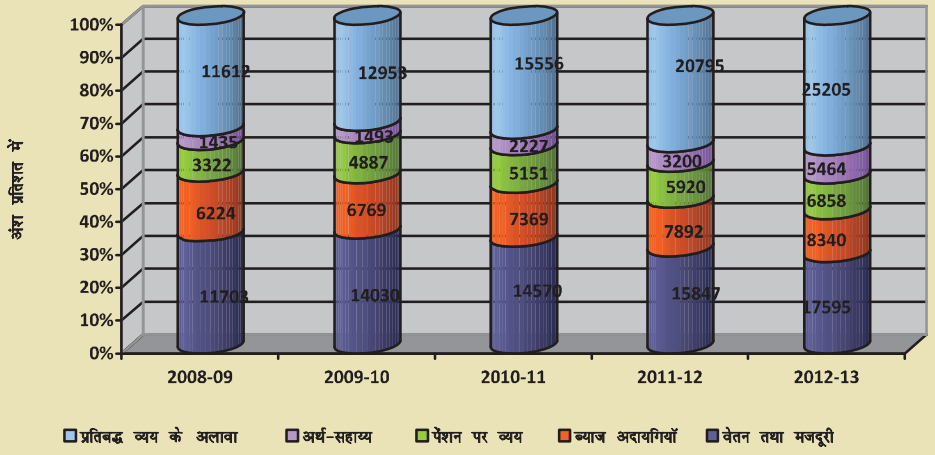
* वेतन: ₹ 17,214 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 381 करोड़

** आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

*** वित्तीय सहायता: ₹ 10,526 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,035 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,324 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 392 करोड पर व्यय सम्मिलित हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.11: वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश (चिन्हित मूल्य ₹ करोड़ में)



वर्ष 2012-13 में प्रतिबद्ध व्यय ₹ 38,257 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का क्रमश: 60 प्रतिशत एवं 57 प्रतिशत था। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यदि स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता (₹ 10,526 करोड़) एवं सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन) (₹ 5,035 करोड़) को प्रतिबद्ध व्यय में जोड़ दिया जावे तो प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता बढ़कर क्रमश: 85 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत एवं राज्य स्व-कर राजस्व से प्रतिशतता 126 प्रतिशत हो जायेगी।

वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 11,703 करोड़ से 50 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 17,595 करोड़ हो गया। तथापि, वेतन तथा मजदूरी पर आयोजना-भिन्न एवं आयोजना व्यय इसी अवधि के दौरान क्रमश: 52 प्रतिशत एवं 18

प्रतिशत बढ़ा। वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत से बढ़ा। यह तेरहवें वित्त आयोग[15] द्वारा सिफारिश किए गए (6 प्रतिशत) से 5 प्रतिशतता बिन्दु अधिक एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 18,488 करोड़) से कम रहा।

पेन्शन भुगतान

पेन्शन भुगतान पर व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 3,322 करोड़ से 106 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,858 करोड़ हो गया। पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि अभिलेखित की गई जो कि तेरहवें वित्त आयोग[16] द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी। पेन्शन के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि पेन्शनरों की कुल संख्या में 11,955[17] (3.6 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण रही। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 6,858 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 4,374 करोड़) से 57 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 6,723 करोड़) से 2 प्रतिशत (₹ 135 करोड़) अधिक रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत हुआ।

तेरहवें वित्त आयोग ने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए ₹ 10 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ की राशि बिना किसी शर्त के जारी की गई। तथापि, ₹ 7.50 करोड़ की बकाया राशि के निर्मोचन के लिए राज्य से यह प्रमाणित किया जाना अपेक्षित था कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया है और इसे लेनदेन के आधार पर राजकोष के साथ समेकित कर दिया गया है। इस डाटाबेस से नवीन पेंशन योजना (जनवरी 2004 से लागू) को शीघ्र क्रियान्वित करने और वेतनपंजी से सम्बद्ध कटौती के लिए आधार और सेवा प्रदाताओं को अंशदान के अंतरण की भी व्यवस्था की जानी थी। तथापि, राज्य सरकार ने मार्च 2013 के अन्त तक डाटाबेस को तैयार करने का कार्य पूर्ण नहीं किया था।

अप्रेल 2008 से पूर्व राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतानों के लिए उत्तरदायी थी। अप्रेल 2008 से नवीन प्रक्रिया लागू की गई जिसके अन्तर्गत इन अधिकारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतानों को उचन्त शीर्ष 8658 के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना था तथा भारत सरकार से पुनर्भरण के लिए मांग की जानी थी। वर्ष 2012-13

[15] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

[16] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.65

[17] पेन्शनरों की संख्या 2011-12: 3,30,335 एवं 2012-13: 3,42,290

के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संवितरित किये गये पेंशन परिलाभ ₹ 0.22 करोड़ का निपटान उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित रहा।

ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2008-09 के ₹ 6,224 करोड़ से 34 प्रतिशत एवं गत वर्ष (₹ 7,892 करोड़) से 6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8,340 करोड़ हो गई। मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 5,445 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,238 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 534 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज 2011-12 के ₹ 5,269 करोड़ से 3 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 5,445 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: बाजार के कर्जे पर ब्याज के भुगतान में 15 प्रतिशत एवं अन्य आन्तरिक ऋण पर ब्याज के भुगतान में 16 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2011-12 के ₹ 1,971 करोड़ से 14 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,238 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि पर ब्याज एवं बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज में क्रमश: 17 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 8,315 करोड़) से अधिक रही परन्तु तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 8,666 करोड़) से कम रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण के टिकाऊपन को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 12 प्रतिशत रहा जो कि तेरहवें वित्त आयोग के मानकों (15 प्रतिशत) के भीतर था।

अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है बल्कि जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाऐं उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय सहारा, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 5,460 करोड़ की प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे **(परिशिष्ट III)** में दर्शायी गयी है जो कि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: विद्युत (₹ 4,861 करोड़), खाद्य वितरण (₹ 311 करोड़), घरेलू गैस (₹ 123 करोड़) एवं फसल कृषि-कर्म (₹ 125) क्षेत्रों में ₹ 2,263 करोड़ (71 प्रतिशत) से अधिक रही।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (₹ 4,861 करोड़) कुल अर्थ-सहाय्य (₹ 5,464 करोड़) का 89 प्रतिशत था जो कि गत वर्ष (₹ 2,801 करोड़) की तुलना में 74 प्रतिशत (₹ 2,060 करोड़) अधिक था। इसमें, दरें न बढ़ाने के लिए अनुदान (₹ 2,446 करोड़), विद्युत कर के लिए अनुदान (₹ 1,150 करोड़), बॉण्डस् पर ब्याज हेतु अनुदान (₹ 829 करोड़), वित्तीय रि-मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत नकद सहायता (₹ 400 करोड़) एवं ब्याज के लिए अनुदान (₹ 36 करोड़) शामिल हैं।

खाद्य अर्थ-सहाय्य एवं घरेलू गैस अर्थ-सहाय्य गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 23 प्रतिशत एवं 120 प्रतिशत से बढ़ी। फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य भी गत वर्ष की तुलना में 116 प्रतिशत से बढ़ी।

अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य अन्य बातों के साथ, जब सरकार सामाजिक एवं आर्थिक माल/सेवाओं के प्रावधान में आई लागत को वसूल करने में असमर्थ हो जो मुख्यत: निजी माल/सेवाओं की प्रकृति के हों, उत्पन्न होती है। यद्यपि, यह अप्रत्यक्ष भी हो सकती है अथवा कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

1.7.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को गत वर्षों के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	234.99	448.63	1,506.21	2,013.12	2,309.02	2,302.98
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	932.41	1,047.23	1,130.04	1,339.94	2,262.92	2,255.06
पंचायती राज संस्थाऐं	2,993.02	3,868.59	4,365.15	6,217.95	7,682.94	7,675.24
विकास अभिकरण	52.96	376.36	354.18	75.07	121.80	118.94
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाऐं	96.23	107.51	117.03	72.50	84.42	84.27
अन्य संस्थाऐं	2,178.99	2,195.49	2,743.03	2,618.23	3,788.70	3,781.66
योग	**6,488.60**	**8,043.81**	**10,215.64**	**12,336.81**	**16,249.80**	**16,218.15**
राजस्व व्यय	34,296	40,132	44,873	53,654	62,219	63,462
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	19	20	23	23	26	26

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर

गत वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता 31 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलेखित करते हुए ₹ 3,881 करोड़ से बढ़ी तथा वर्ष 2008-13 के दौरान यह राजस्व व्यय के 19 से 26 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यत:, पंचायत समितियों को प्राथमिक स्कूलों के

लिए: ₹ 2,413 करोड़ (14.9 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 1,821 करोड़ (11.2 प्रतिशत), फसल कृषि-कर्म: ₹ 856 करोड़ (5.3 प्रतिशत), मिड-डे मील: ₹ 686 करोड़ (4.2 प्रतिशत), राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत: ₹ 833 करोड़ (5.1 प्रतिशत), पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्बन्ध विकास निधियाँ: ₹ 645 करोड़ (4 प्रतिशत), विद्युत कम्पनियों को दायित्वों के कारण होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए: ₹ 700 करोड़ (4.3 प्रतिशत) एवं नगरपालिकाएं/नगर परिषद को विशेष अनुदान: ₹ 564 करोड़ (3.5 प्रतिशत), हेतु दी गई थी।

सामान्यत: ये निधियाँ कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा रही है। राजकीय खातों से बाहर रखे जाने के कारण अव्ययित शेष की कुल राशि सहज रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। अत: वित्त लेखों में उस सीमा तक दिखाये गये सरकारी व्यय अन्तिम नहीं है।

1.7.7 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) मे संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

1.7.7.1 पंचायती राज संस्थान

प्रस्तावना

31 मार्च 2013 को राज्य में 33 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), 33 जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), 248 पंचायत समितियाँ एवं 9,177 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्थान का प्रमुख है।

लेखापरीक्षा

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) प्राथमिक लेखापरीक्षक है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करता है। राज्य सरकार द्वारा पीआरआई के सभी वर्गों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) सीएजी को सौंपा गया (फरवरी 2011)। तदुपरान्त, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (आरपीआरए) 1994 की धारा 75 में संशोधन (मार्च 2011) द्वारा उप-धारा 4 के परन्तुक का वाक्य 'इन लेखों की लेखापरीक्षा एवं इनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा' से प्रतिस्थापित किया गया।

लेखांकन

31 मार्च 2013 तक, स्थानीय निकायों के लेखे, आरपीआरए, 1994 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम (आरपीआरआर), 1996 के अन्तर्गत पारम्परिक प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन पद्धति वर्ष 2009 को डाटा प्रविष्टि तथा आठ डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर' (पीआरआईए सॉफ्ट) के साथ अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। इसके अनुसरण में वर्ष 2012-13 के दौरान, सभी 33 जिला परिषदों, 230 पंचायत समितियों एवं 1567 ग्राम पंचायतों में डाटा प्रविष्टि कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था और शेष 18 पंचायत समितियों एवं 7610 ग्राम पंचायतों में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रक्रियाधीन था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि आरपीआरआर, 1996 के नियम 245 एवं 246 में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

हस्तांतरण

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट भारत के संविधान की धारा 243जी, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों के सम्बन्ध में पंचायती राज संस्थानों को निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के हस्तांतरण का परिकल्पन करती है। हस्तांतरण पर मुख्य आदेश राज्य सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में जारी किये गये। उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2013) के अनुसार निधियों, कार्यों एवं कर्मियों से सम्बन्धित क्रमशः 20, 28 एवं 20 विषयों का हस्तांतरण किया गया (जून 2013)।

1.7.7.2 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

प्रस्तावना

राज्य में 5 नगर निगम, 30 नगर परिषद एवं 149 नगर पालिकाऐं है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग यूएलबी के प्रमुख है।

लेखापरीक्षा

डीएलएफएडी यूएलबी का प्राथमिक लेखापरीक्षक है एवं सीएजी (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत सीएजी इनकी लेखापरीक्षा करता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (आरएमए) 2009 की धारा 99-ए, राजस्थान नगरपालिका (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2011, के द्वारा जोड़ी गयी। तदनुसार, अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर टीजीएस

सीएजी को सौंपी जायेगी तथा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन टीजीएस पर सीएजी की वार्षिक तकनीकी जाँच प्रतिवेदन के साथ राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखने के लिए तैयार करवायेगी।

लेखांकन

निदेशालय स्थानीय निकाय (डीएलबी), जयपुर द्वारा सूचित किया गया (जून 2013) कि राज्य की सभी 184 नगर निकायों को 01 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति से लेखे संधारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है एवं राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखे उपार्जन लेखांकन पद्धति से संधारित किये जा रहे हैं। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि जोधपुर नगर निगम के अलावा अन्य सभी स्थानीय निकायों द्वारा उपार्जन आधार पर लेखे संधारित नहीं किये जा रहे हैं।

हस्तांतरण

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं को शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण परिकल्पित था। डीएलबी द्वारा दी गई सूचना (जून 2013) के अनुसार, यूएलबी द्वारा 16 विषयों पर कार्य पहले से ही किये जा रहे हैं और एक विषय (पेयजल) वर्ष 2013-14 से सात यूएलबी को आंशिक हस्तान्तरण किया गया है। तथापि, शेष विषय 'शहरी नियोजन के साथ नगर नियोजन' पर शक्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढ़ाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलत: तीन दृष्टिकोण शामिल होते है, यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का आंकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढ़ाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकार को सौंपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात), यदि यह सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जोड़ कर देखी जाती है।

नीचे दी गयी **तालिका 1.18** वर्ष 2012-13 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.18: वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत* (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2009-10	17.23	67.06	41.53	11.30	20.26	5.13
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2012-13	16.01	72.56	37.16	13.95	17.10	5.15

* दिल्ली, गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

\# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत: जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे

तालिका 1.18 निम्नानुसार सूचित करती है:

1. सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राजस्थान अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय के रूप में मामूली रूप से अधिक खर्च कर रहा है। तथापि वर्ष 2009-10 की तुलना में, राजस्थान अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय पर कम अंश व्यय कर रहा है।

2. राजस्थान में समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है। विकासात्मक व्यय में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र व्यय (समग्र व्यय के अंश के रूप में) सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।

3. राजस्थान द्वारा 2009-10 की तुलना में 2012-13 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2012-13 में, पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अंश से अधिक रहा।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपाय

करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स[18] के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय[19] के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। विकासात्मक व्यय में सामाजिक आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट है। **तालिका 1.19** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	21,320 (52.6)	24,466 (53.4)	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	41,727 (58.0)	42,701 (55.8)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	6,045 (14.9)	5,752 (12.6)	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	9,309 (12.9)	10,434 (13.6)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	340 (0.8)	498 (1.1)	262 (0.5)	1,109 (1.8)	48 (0.1)	2,412 (3.2)
विकासात्मक व्यय(अ से स)	**27,705 (68.3)**	**30,716 (67.1)**	**33,473 (66.4)**	**42,696 (69.0)**	**51,084 (71.0)**	**55,547 (72.6)**
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	15.2	10.9	9.0	27.6	24.0	30.1
कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।						

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

[18] कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाऐं है जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाऐ इत्यादि। मेरिट गुड्स वे जिन्स है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थ्यता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

[19] व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्व किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाऐं विकासात्मक व्यय बनाते है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

विकासात्मक व्यय में शामिल सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम, 2008-09 के ₹ 27,705 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 55,547 करोड़ हो गया। कुल व्यय से प्रतिशतता, 2008-09 में 68.3 से बढ़कर 2012-13 में 72.6 हो गयी एवं यह 2012-13 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ी। वर्ष 2008-13 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसत 55 प्रतिशत राजस्व खाते पर रहा तथा शेष पूँजीगत खाते, जिसमें ऋण एवं अग्रिम शामिल है, पर रहा।

नीचे दी गयी **तालिका 1.20** पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2011-12			2012-13		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी का अंश	अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश		वेतन एवं मजदूरी का अंश	अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.04	59.18	नगण्य	0.13	59.56	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.85	68.96	0.12	5.50	68.95	0.11
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	33.38	29.12	1.48	34.65	23.83	1.24
योग (अ)	**8.35**	**47.34**	**0.24**	**10.09**	**45.95**	**0.23**
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	7.43	37.57	0.46	9.87	34.87	0.40
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.98	19.12	6.31	36.34	19.20	7.05
विद्युत एवं ऊर्जा	44.99	0.03	-	40.81	0.02	0.00
परिवहन	45.97	8.01	10.81	54.82	8.10	13.18
योग (ब)	**27.85**	**12.16**	**1.91**	**30.37**	**9.69**	**1.75**
महायोग (अ+ब)*	**16.63**	**34.41**	**0.85**	**19.64**	**31.17**	**0.85**

स्रोत: वित्त लेखे

*** (सामाजिक सेवाओं पर व्यय +आर्थिक सेवाओं पर व्यय)/कुल व्यय X 100**

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 42 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2011-12 के ₹ 1,997 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,840 करोड़ हो गया जबकि इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात 2011-12 में 28 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 27 प्रतिशत रह गया।

कुल राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 2011-12 में 47.34 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 45.95 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 54 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2011-12 के ₹ 4,918 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 7,594 करोड़ हो गया।

सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र, कृषि, ग्राम विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण तथा परिवहन, चिन्हित किये गये थे। गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, परिवहन, ग्राम विकास तथा ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 231 करोड़, ₹ 520 करोड़, ₹ 240 करोड़ तथा ₹ 1,409 करोड़ अधिक हुआ।

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन पर व्यय का अंश 2011-12 के 12.16 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 9.69 प्रतिशत रह गया।

अनुरक्षण एवं रख रखाव पर व्यय

क्योंकि परिसम्पत्तियों को बनाये रखा जाना होता है अतः यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि अनुरक्षण एवं रख रखाव के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश गत वर्ष (0.85 प्रतिशत) के समान रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान, अनुरक्षण एवं रख रखाव के लिए राजस्व व्यय का मात्र 0.62 प्रतिशत आवंटन किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2011-12 के 0.24 प्रतिशत एवं 1.91 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में क्रमशः 0.23 प्रतिशत एवं 1.75 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास, परिवहन तथा कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलापों में हुई जबकि वृद्धि सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत हुई। वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तिओं के रख-रखाव के लिए विस्तृत शीर्ष '21- रखरखाव एवं मरम्मत' के अन्तर्गत मात्र ₹ 431 करोड़ (राजस्वः ₹ 392 करोड़, पूँजीगतः ₹ 39 करोड़) पुस्तांकित किये।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न में करते है। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल है, सामान्यत: नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यत: आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न ***तालिका 1.21*** विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

मद	व्यय का प्रकार	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजना	राजस्व	5,771	6,287	8,752	12,416	14,235
	पूँजीगत	6,096	5,820	5,231	7,103	10,682
	ऋण	324	462	189	1,051	2,242
	योग	12,191	12,569	14,172	20,570	27,159
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	30	27	28	33	35
आयोजना-भिन्न	राजस्व	28,525	33,845	36,121	41,238	49,227
	पूँजीगत	(-) 196	(-) 645	20	16	1
	ऋण	16	36	73	58	170
	योग	28,345	33,236	36,214	41,312	49,398
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	70	73	72	67	65
कुल व्यय		**40,536**	**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-13 के दौरान कुल व्यय में आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि हुई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है।

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2008-09 के ₹ 12,191 करोड़ से 123 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 27,159 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न ₹ 28,345 करोड़ से 74 प्रतिशत बढ़कर ₹ 49,398 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2008-13 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत से बढ़ा। 2012-13 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 4.4 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक था। इसी प्रकार, 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये 14.1 प्रतिशत के आंकलन के सापेक्ष वर्ष के दौरान आभिराव्य में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आयोजना राजस्व व्यय

आराव्य में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,819 करोड़ की वृद्धि मुख्यत:, मुख्यशीर्ष शहरी विकास (₹ 781 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण (₹ 164 करोड़), पोषण (₹ 96 करोड़), सहकारिता (₹ 250 करोड़), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 711 करोड़) एवं सिविल पूर्ति (₹ 226 करोड़), के अन्तर्गत थी जो कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 128 करोड़) एवं विद्युत में कमी (₹ 402 करोड़) से प्रतिसन्तुलित हुयी। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजन राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात (22 प्रतिशत) गत वर्ष (23 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम रहा।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 7,989 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 938 करोड़), विद्युत (₹ 3,004 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 448 करोड़), पुलिस (₹ 234 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,283 करोड़), चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य (₹ 425 करोड़), शहरी विकास (₹ 178 करोड़), श्रम तथा रोजगार (₹ 233 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 424 करोड़) एवं मुख्य सिंचाई (₹ 131 करोड़) के कारण हुई जोकि प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (₹ 159 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित थी।

आभिराव्य राजम्व व्यय का 78 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 64 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.22: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	33,307	48,100	49,227
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	14,119	14,235

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 15,920 करोड़ (48 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 1,127 करोड़ (2 प्रतिशत) अधिक रहा। वास्तविक आराव्य एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 116 करोड़ (एक प्रतिशत) अधिक रहा।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचें में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निचले स्तरों पर रखने एवं अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने चाहिए। यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 5,261.55 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.8)*** के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 50.65 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.96 प्रतिशत था जो कि प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 226.92 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 507.96 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 684.23 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2013 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,141.57 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 23.93 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.58 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 125.84 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के ₹ 405.61 करोड़ के संदर्भ में भी नगण्य (4.50 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 507.52 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 31 मार्च 2013 के अन्त तक गंग नगर पर पूँजीगत व्यय ₹ 457.46 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 5.68 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 21.65 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 45.04 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 61.01 करोड़ की निवल हानि उठायी।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	43 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	43 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2013 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएं	34	1,466.48	19	877.31	3,346.52	2,469.21	2,691.72
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	59	1,230.45	10	142.27	185.60	43.33	531.49
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	73	11,926.94	14	2,686.08	5,141.20	2,455.12	5,435.47
योग	**166**	**14,623.87**	**43**	**3,705.66**	**8,673.32**	**4,967.66**	**8,658.68**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2013 को 166 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 8,659 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 115 परियोजनाएँ (₹ 2,615 करोड़) 5 वर्ष से कम समय से अपूर्ण थी एवं 51 परियोजनाएँ (₹ 6,044 करोड़) 5 से 19 वर्षों की अवधि से अपूर्ण थी। 43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 3,706 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 134 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,673 करोड़ (संशोधित लागत) हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 4,967 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, निम्न वर्णित पाँच परियोजनाओं में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2010 तक किया गया व्यय और मार्च 2013 तक किया गया संचित व्यय समान अर्थात ₹ 79 करोड़ रहा।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं पर तीन वर्षों से अधिक से व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	संशोधित लागत	2010-13 के दौरान व्यय	31.03.2013 को संचित वास्तविक व्यय
	जल संसाधन विभाग की परियोजनाऐं					
1	मामेर	1999-2000	2.95	18.76	-	0.32
	सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाऐं					
2	राम कामोस नागेलेव जेठाना मांगलियावास रोड़	2007-08	20.00	13.30	-	9.32
	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाऐं					
3	तहसील सलूम्बर के फ्लोराइड प्रभावित गाँवों का ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन सोमकमला अम्बा डेम से 84 गाँवों के लिए (उदयपुर रीजन)	2005-06	22.88	33.58	-	24.43
4	अतरू खेड़लीगंज के पुनर्गठन हेतु जलापूर्ति योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	2007-08	25.39	-	-	0.27
5	तहसील जायल के 120 गाँवों में पोर्टेबल जल उपलब्ध कराने के लिए मातासुख फलसुंड़- जायल की जलापूर्ति योजना	2008-09	124.73	-	-	45.00
	योग		**195.95**		-	**79.34**

स्रोत: वित्त लेखे

सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में अवरूद्ध राशि राज्य के संचित पूँजीगत व्यय का 11 प्रतिशत थी। ***निर्धारित समय अवधि में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण राजकोष की लागत में भी वृद्धि हुयी।***

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक सरकार ने 3 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ के निवेश सहित 42 सरकारी कम्पनियों (₹ 17,576.98 करोड़), 3 अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ के निवेश सहित 7 सांविधिक निगमों (₹ 509.34 करोड़), 3 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 115.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 477.67 करोड़) में ₹ 18,753.33 करोड़ का निवेश किया। इस निवेश पर विगत तीन वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.2 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज

चुकाया **(तालिका 1.25)। उधार लिए गए कोष का निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा। सरकार बेहतर अनुश्रवण द्वारा अनुरूप परिणाम सुनिश्चित कर सकती है।**

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारो की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	7,929.63	9,533.57	11,112.16	13,920.78	18,753.33
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	43.39	37.26	20.76	57.58	57.18
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[20] (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.2	7.3	7.5	7.3	7.1

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में ₹ 4,832.55 करोड़ का निवल निवेश था। जिन क्षेत्रों/कम्पनियों में बड़ा निवेश किया गया वे मुख्यत:, सहकारी बैंक एवं समितियाँ: ₹ 36.89 करोड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 969 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 636 करोड़, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 917 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 877 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 449 करोड़, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर: ₹ 189 करोड़ एवं जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर: ₹ 561 करोड़ थी।

राज्य सरकार के निवेश में 39 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 17,566.15 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल 6 कम्पनियों ने ₹ 336.24 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 53.95 करोड़ का लाभांश घोषित किया। 31 मार्च 2013 तक सरकार ने पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 15,966.09 करोड़ (कुल निवेश का 85 प्रतिशत) का निवेश किया था।

राशि ₹ 17,566.99 करोड़ का कुल निवेश, 2 सांविधिक निगमों, 1 ग्रामीण बैंक, 19 सरकारी कम्पनियों एवं 6 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 45,716.11 करोड़ थी। भारी हानि उठाने वाले संगठन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 871.55 करोड़), राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (₹ 684.90 करोड़), नेशनल टेक्सटाईल निगम, नई

[20] गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 193 पर देखें।

दिल्ली (₹ 572.40 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 548.92 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,634.57 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 13,432.16 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 13,006.16 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 14,503.15 करोड़) थे।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनके उद्धार अथवा बन्द करने के लिए समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग ने सरकारी निवेश के सम्बन्ध में, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 1974-75 से 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों[21] में किये गये निवेश ₹ 30.20 करोड़ के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती है। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को ***परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिस तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 11,220.64 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने चालू वर्ष के दौरान राशि ₹ 23.64 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से संचित हानि ₹ 8,868.87 करोड़ रही।

1.9.5 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं में निवेश

पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढाँचे के लिए जनता की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए निजी जन सहभागिता (पीपीपी) की अवधारणा विकसित हुयी है। राज्य

[21] (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 1,936.45 लाख), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 1,061.45 लाख), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

सरकार के योजना विभाग में गठित (जुलाई 2007) पीपीपी प्रकोष्ठ, आधारभूत ढाँचें के क्षेत्रों के विकास से संबंधित राज्य सरकार के सभी प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी है।

(i) निजी जन सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (मई 2013) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2013 के दौरान ₹ 15,813.89 करोड़ की लागत राशि की 203 परियोजनाऐं विभिन्न क्षेत्रों में ली गई। इसमें से 31 मार्च 2013 तक 126 परियोजनाऐं (₹ 8,855.87 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं ***(परिशिष्ट 1.11(अ))*** एवं 77 परियोजनाऐं (₹ 6,958.02 करोड़) वर्ष 2012-13 के अन्त तक प्रगति पर थी ***(परिशिष्ट 1.11(ब))***। इसके अतिरिक्त, 86 परियोजनाऐं (₹ 16,329.55 करोड़) भविष्य के लिए बनायी गई हैं ***(परिशिष्ट 1.12)***। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में ली जानी वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न **तालिका 1.26** में दिया गया है:

तालिका 1.26: क्षेत्र-वार निजी जन सहभागिता परियोजनाऐं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	50	2994.36	18	4902.53	14	1649.48
2.	शहरी आधारभूत संरचना	18	95.13	25	1044.99	36	11282.92
3.	विद्युत	1	5000.00	3	509.60	3	820.91
4.	जल	1	300.00	-	-	4	1740.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	-	-	2	315.77	-	-
6.	सामाजिक	24	438.27	14	157.04	14	273.20
7.	अन्य कोई	32	28.11	15	28.09	15	563.04
	योग	**126**	**8855.87**	**77**	**6958.02**	**86**	**16329.55**

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार का पीपीपी प्रकोष्ठ

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत ली गई एवं मई 2006 तक पूर्ण की गई 27 परियोजनायें, ₹ 304.44 करोड़ की सम्पत्ति निर्मित करते हुए 31 मार्च 2013 तक सरकार को सौंप दी गई थी।

(ii) राजस्थान आधारभूत संरचना विकास अधिनियम का अधिनियमित नहीं होना

राजस्थान सरकार द्वारा मई 2012 में जारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में सांविधिक ढ़ाँचे में पीपीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान आधारभूत संरचना विकास अधिनियम अधिनियमित किया जाना परिकल्पित था। तथापि, सरकार द्वारा

कोई अधिनियम नहीं बनाया गया। योजना विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (अगस्त 2013) कि अधिनियम को उद्योग विभाग में अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

(iii) सरकारी अंशदान

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने मैसर्स भीलवाड़ा जयपुर टोल रोड़ प्राईवेट लिमिटेड को जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी के लिए ₹ 44.00 करोड़ की वाइअबिलइटी गैप फन्डिंग की स्वीकृति दी, जिसमें से ₹ 27.03 करोड़ निर्मोचित किये गये (मई 2013)।

1.9.6 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2013 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.27** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.27: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्जे की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	**3,375**	**3,318**	**3,194**	**3,198**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	262	1,109	48	2,412
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	319	1,229	151	1,102
अन्त शेष	**3,318**	**3,198**	**3,091**	**4,508**
निवल वृद्धि	(-) 57	(-) 120	(-) 103	1,310
ब्याज प्राप्तियाँ	144	130	-	150
ब्याज प्राप्तियाँ का बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत	4.3	4.0	-	3.9
ब्याज अदायगियों की राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं मे प्रतिशत	7.7	7.7	-	7.4
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.4	(-) 3.7	-	(-) 3.5

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि ब्याज अदायगियों एवं ब्याज प्राप्तियों के मध्य ऋणात्मक अन्तर (प्रतिशत) को देखते हुए राज्य की उधारी उसके द्वारा दिये गये ऋणों मे अधिक मंहगी थी।

₹ 4,508 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, विद्युत परियोजनाओं को ₹ 3,161 करोड़ (70 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जों तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2011-12 के ₹ 1,109 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 1,303 करोड़ बढ़कर ₹ 2,412 करोड़ हो गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 316 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 2,096 करोड़ अन्तरित किये गये। चालू वर्ष के दौरान कर्जे का मुख्य अंश

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 566 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 584 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 679 करोड़), राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड (₹ 200 करोड़), तिलम संघ (₹ 80 करोड़), राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 55 करोड़), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (₹ 49 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय (₹ 32 करोड़) एवं शहरी विकास के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम वर्ग के नगरों का समेकित विकास (₹ 22 करोड़), को दिया गया। इन संस्थाओं ***(परिशिष्ट 1.10)*** द्वारा गत 10 अथवा अधिक वर्षों से ₹ 83.73 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

1.9.7 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.28 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: *रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश*

(₹ करोड़ में)

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2012 को	अन्तिम शेष 31.3.2013 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 80.29	38.90	(-) 41.39
स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण	2.06	(-) 3.47	(-) 1.41
योग	(-) 78.23	**35.48**	**(-) 42.75**
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	2,820.04	9,307.78	12,127.82
योग (अ)	2,741.81	**9,343.26**	**12,085.07**
(ब) **अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश**			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	(-) 0.21	1.26	1.05
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 1.29	5.11	3.82
आरक्षित निधियों में निवेश	361.30	435.48	796.78
योग (ब)	**359.80**	**441.85**	**801.65**
महायोग (अ) + (ब)	**3,101.61**	**9,785.11**	**12,886.72**

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 12,887 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,102 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। यह दृष्टिगत हुआ कि ₹ 12,127.66 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषालय बिल/प्रतिभूतियों में किया गया जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 883.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 801.65 करोड़ का निवेश आरक्षित निधियों में किया गया। 31 मार्च 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा में ₹ 41.39 करोड़ का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया।

राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष संधारित किया।

अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यत: वर्ष 2012-13 के दौरान लिये गये ₹ 8,041.10 करोड़[22] के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

रोकड़ शेष की अच्छी स्थिति, ₹ 3,451 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं जीएसडीपी का 1.8 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे को देखते हुए खुले बाजार से कर्जो को काफी कम किया जा सकता था।

अधिशेष रोकड़ शेष को आंशिक रूप से औसत पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के 14 दिन के कोषालय बिलों में एवं आशिंक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के 91, 181 एवं 364 दिन वाले नीलामी कोषालय बिलों में निवेश किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,18,301 करोड़ के भारत सरकार के कोषालय बिल खरीदे गये तथा ₹ 1,15,481 करोड़ के पुन: बट्टे करवाये गये। परिणामस्वरूप, रोकड़ शेष का निवेश गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,820 करोड़ (30 प्रतिशत) से बढ़ गया। **रोकड़ शेष की अच्छी स्थिति को देखते हुए खुले बाजार से लिये गये कर्जो का सरकार की लघु अवधि की देयताओं को पूरा करने के लिए सीमित किया जा सकता था।**

1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियाँ यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते है। ***परिशिष्ट 1.5*** 31 मार्च 2012 के अनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय: राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

[22] मई 2012 (₹ 500 करोड़ 9.12 प्रतिशत पर), जून (₹ 500 करोड़ 8.87 प्रतिशत पर), जुलाई (₹ 500 करोड़ 8.89 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.84 प्रतिशत पर), अगस्त (₹ 1,000 करोड़ 8.92 प्रतिशत पर), सितम्बर (₹ 500 करोड़ 8.91 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.90 प्रतिशत पर), अक्टूबर (₹ 500 करोड़ 8.85 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.84 प्रतिशत पर), नवम्बर (₹ 1,000 करोड़ 8.92 प्रतिशत पर), दिसम्बर (₹ 500 करोड़ 8.90 प्रतिशत पर), जनवरी 2013 (₹ 1,000 करोड़ 8.56 प्रतिशत पर) एवं मार्च 2013 (₹ 541.10 करोड़ 8.52 प्रतिशत पर)

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार **तालिका 1.29** में दिया गया है:

तालिका 1.29: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताऐं					सम्पत्तियाँ				
		2011-12	2012-13	वृद्धि प्रतिशत			2011-12	2012-13	वृद्धि प्रतिशत
समेकित निधि		**71705.66**	**76953.94**	**7**	**समेकित निधि**		**71751.40**	**83737.12**	**17**
अ	आन्तरिक ऋण	64456.43	69972.94	9	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	68553.33	79228.78	16
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	7249.23	6981.00	(-) 4	ब	ऋण एवं अग्रिम	3198.07	4508.34	41
आकस्मिकता निधि		**200.00**	**200.00**	**-**					
लोक लेखे		**35289.98**	**41660.28**	**18**	**लोक लेखे**		**56.09**	**38.56**	**(-) 31**
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	24580.58	26,744.43	9	अ	अग्रिम	3.49	3.74	7
ब	जमा	9159.69	12576.12	37	ब	प्रेषण	20.82	-	-
स	आरक्षित निधियाँ	1549.71	2331.20	50	स	उचन्त तथा विविध	31.78	34.82	10
	प्रेषण		8.53	-	**नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)**		**9785.11**	**12886.72**	32
					राजस्व लेखा में घाटा		**25603.04**	**22151.82**	(-) 13
योग		**107195.64**	**118814.22**	**11**	**योग**		**107195.64**	**118814.22**	**11**

स्रोत: वित्त लेखे

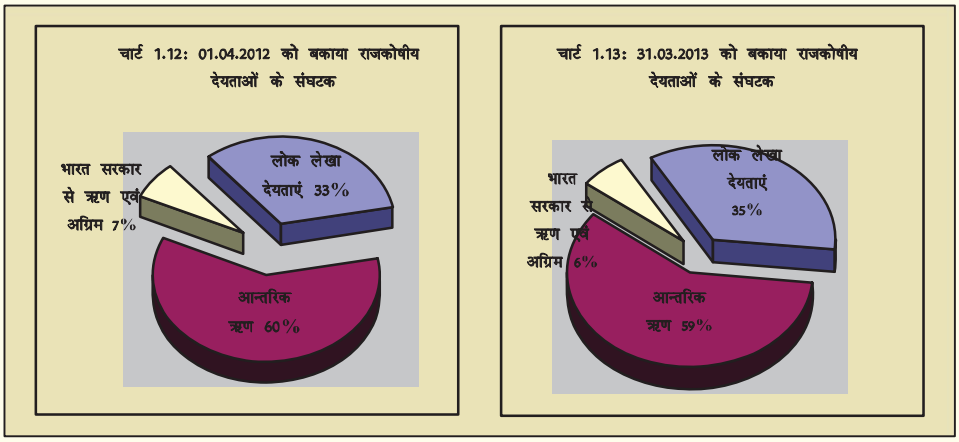
सम्पत्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 18 प्रतिशत हो गयी, जबकि देयताऐं भी वर्ष 2011-12 के 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 11 प्रतिशत हो गयी।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार, वर्ष 2009-10 के वित्त लेखे के अनुसार केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों को वित्त मंत्रालय के अलावा सभी मंत्रालयों के संबंध में अपलेखित किया जाना था। तथापि, मार्च 2013 तक भारत सरकार द्वारा ऐसे बकाया ऋणों को अपलेखित नहीं किया गया।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें[23] वर्ष 2012-13 के अन्त तक ₹ 1,17,809 करोड़ थी जिसमें कि वर्ष 2008-13 के दौरान 10.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुयी, गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.12** तथा **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

[23] वर्ष 2007-08: ₹ 77,138 करोड़, 2008-09: ₹ 84,023 करोड़, 2009-10: ₹ 91,533 करोड़, 2010-11: ₹ 99,285 करोड़, 2011-12: ₹ 1,06,560 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 1,17,809 करोड़।



स्त्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 11,249 करोड़) बढ़ी। समेकित निधि देयताओं (₹ 76,954 करोड़) में बाजार के कर्ज (₹ 44,209 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 6,981 करोड़) एवं अन्य ऋण (₹ 25,764 करोड़) समाविष्ट हैं। लोक लेखा देयताओं (₹ 40,855 करोड़) में अल्प बचत, प्रावधायी निधि (₹ 26,744 करोड़), ब्याज वाले दायित्व (₹ 4,269 करोड़) एवं बिना ब्याज वाले दायित्व जैसे जमा तथा पृथक आरक्षित निधियाँ (₹ 9,842 करोड़) समाविष्ट हैं। **वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 24.6 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (राजस्थान के लिए) 38.3 प्रतिशत[24] के मानक एवं राज्य सरकार द्वारा मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में किये गये आंकलन (28.65 प्रतिशत) से कम था। ये देयताएं वर्ष 2012-13 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.76 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.76 गुणा थीं।**

वर्ष 2012-13 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधारें[25] (₹ 11,249 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 11,300 करोड़) से कम थी।

1.10.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली, के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) में क्षेत्र 'जे' के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों का वित्तपोषण

[24] तेरहवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन **(परिशिष्ट 9.1)**

[25] इसमें खुले बाजार से उधारे, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओ एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तरित राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से प्राप्त होता है। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। कुछ मुख्य आरक्षित निधियाँ मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि, सड़क तथा सेतु निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। यदि आरक्षित प्राप्तियाँ, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए निधि बनाई गई है, प्राप्त हो रही हैं तो ये राज्य की समेकित निधि में उचित राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज होंगी। इस सम्बन्ध में, उद्देश्यों/नियमों/आदेशों/निर्देशों/अधिनियमों जिसके लिए आरक्षित निधि बनायी गयी है, को प्राप्त करने के लिए बनायी गयी योजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय सम्बन्धित लेखाशीर्ष से किया जायेगा। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि मे पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2013 को, 33 आरक्षित निधियों में ₹ 2,331.20 करोड़ का अन्तिम शेष था। इसमे से ₹ 10.49 करोड़ की 12 आरक्षित निधियाँ अप्रचलित थी। वर्ष के अन्त में सरकार ने ₹ 2,331.20 करोड़ में से ₹ 796.78 करोड़ (भारत सरकार की प्रतिभूतियों: ₹ 170.55 करोड़, गारन्टी मोचन निधि निवेश खाता: ₹ 348.59 करोड, राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 222.96 करोड़ तथा राजस्थान राज्य विकास ऋण को चुकाना: ₹ 54.68 करोड़) का निवेश किया था। राशि ₹ 1,567.72 करोड़ (निवल) वार्षिक हिस्से के रूप में मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ): ₹ 829.60 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 496.67 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 165.55 करोड़, मुख्य शीर्ष 2245-80-800 से अन्तरित: ₹ 101.90 करोड़ तथा एसडीआरएफ पर ब्याज: ₹ 65.48 करोड़); राज्य सड़क तथा सेतु निधि: ₹ 239.01 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि: ₹ 266 करोड़ तथा गारन्टी मोचन निधि: ₹ 251.55 करोड़ को अन्तरित किये। गत वर्ष की तुलना में राज्य की आरक्षित निधि ₹ 781.49 करोड़ से बढ़ी, जिससे वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की राजकोषीय देयतायें इस सीमा तक बढ़ी।

1.10.3.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर स्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़[26] का आकार निर्धारित किया गया, इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2013 को आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 257.81 करोड़) के बाद एसडीआरएफ में ₹ 1,211.60 करोड़ (निवेश

[26] 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

नहीं की गयी राशि पर सरकार द्वारा चुकाये गये ब्याज ₹ 44.67 करोड़ सहित) का शेष था।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसडीआरएफ जमा को केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और/या नीलामी कोषालय बिलों और/या ब्याज अर्जित करने वाली जमाओं पर और/या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं के प्रमाण-पत्रों में निवेशित किया जाना था। वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 222.95 करोड़ का निवेश किया गया और इन निवेशों पर ₹ 20.81 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया।

1.10.3.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की और 31 मार्च 2013 को इस निधि के अन्तर्गत ₹ 611.83 करोड़ (गारन्टी फीस के रूप में ₹ 580.94 करोड़ एवं प्राप्त ब्याज ₹ 30.89 करोड़) का शेष था। वर्ष के दौरान इस निधि मे किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 235.04 करोड़ प्राप्त किये जिसे विविध प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया गया।

1.10.4 आकस्मिक देयताऐं

- ***प्रत्याभूतियों की स्थिति***

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.30: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2010-11	2011-12	2012-13
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	88,112	97,566	1,13,340
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	50,692	60,711	75,546
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	191.8	171.1	169.4

स्त्रोतः वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2011-12 में ₹ 60,711 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 75,546 करोड़ हो गयी। ₹ 75,546 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 70,114 करोड़: 93 प्रतिशत), सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,798 करोड़: दो प्रतिशत) एवं तीन शहरी विकास एवं आवास (₹ 2,120 करोड़: तीन प्रतिशत) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट, द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को

चुकाने के लिए दी गई थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान, सरकार को प्राप्त होने वाली प्रत्याभूति कमीशन राशि ₹ 354.72 करोड़ के समक्ष ₹ 235.04 करोड़ प्राप्त हुए। बकाया प्रत्याभूतियाँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 113 प्रतिशत थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं भुनाई गयी।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि यदि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 75,546 करोड़) से उत्पन्न देयताओं को चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं (₹ 1,17,809 करोड़) में जोड़ दिया जाये तो कुल देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात मौजूदा 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 40.4 प्रतिशत हो जावेगा।

- ***बजट से इतर उधार***

राज्य के कर्ज भारत के संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत विनियमित होते हैं। ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाई गयी राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित ऋण का उपयोग किया गया। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट से बाहर प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिये निधियाँ राज्य बजट से इतर इन कम्पनियों/निगमों द्वारा जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगीं, तथापि, वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिये गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं, जिसे "बजट से इतर उधार " कहा जाता है, यद्यपि धारा 293(3) के अन्तर्गत बजट से इतर उधार अनुमत्य नहीं हैं।

वित्त विभाग ने (जुलाई 2013) में बताया कि बोर्ड, कम्पनियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय शहरी निकाय स्वतंत्र इकाईयाँ है और वे अपनी जरूरत के अनुसार ऋण लेती हैं और राज्य सरकार ऐसे सभी उधारों के लिये आवश्यक रूप से प्रत्याभूति उपलब्ध नहीं कराती है जो स्वीकृत वार्षिक प्लान में आयोजना विभाग द्वारा तैयार किये गये आयोजना आवंटन को पूरा करने हेतु नहीं लिये गये। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लिये गये उधार इन्हीं संस्थानों के लिए होता है तथा यह राज्य सरकार के लिये और/या निमित्त नहीं लिये गये हैं। ऋण चुकाने का भार इन्हीं उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों पर होता है न कि राज्य सरकार पर।

तथापि, वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या 9 के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 840.19 करोड़ (वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 1,697.90 करोड़) की नयी प्रत्याभूतियाँ मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के निष्पादन के लिए आवासन तथा नगरीय विकास निगम के ऋणी, विभिन्न जिला परिषदों को उनकी उधारी के लिए उपलब्ध करवायी। राज्य सरकार ने मूलधन एवं ब्याज अदायगी जो कि बजट से इतर उधार को सृजित करती है, की जिम्मेदारी ली थी। राज्य वित्त पर विधान मण्डल का नियंत्रण भी उस सीमा तक कम हुआ।

1.10.5 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2008-09 के ₹ 58,766 करोड़ से 30 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 76,954 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न **तालिका 1.31** में दिया गया है:

तालिका 1.31: वर्ष 2008-13 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	24,499	30,611	35,448	38,551	44,209
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	1,948	2,609	3,323	3,947	4,553
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	23,769	23,209	22,656	21,518	20,767
अन्य संस्थाओं से कर्ज	933	714	470	441	444
योग (अ)	**51,149**	**57,143**	**61,897**	**64,457**	**69,973**
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-योजनेत्तर कर्ज	79	73	67	60	55
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,359	7,237	7,163	7,052	6,789
अन्य योजनागत कर्ज	179	165	151	137	137
योग (ब)	**7,617**	**7,475**	**7,381**	**7,249**	**6,981**
कुल उधार (अ + ब)	**58,766**	**64,618**	**69,278**	**71,706**	**76,954**
वृद्धि दर	9.4	11.7	7.2	3.5	7.3

स्त्रोत : वित्त लेखे

वर्ष 2008-13 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई। बाजार ऋण का कुल उधारों से अंश वर्ष 2008-09 के 41.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 57.4 प्रतिशत हो गया।

1.10.6 असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार, 32 आरक्षित निधियों में से 12 आरक्षित निधियाँ (₹ 10.49 करोड़) 2 वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से ₹ 6.22 करोड़ की छः निधियाँ ब्याज वाली तथा ₹ 4.27 करोड़ की शेष छः निधियाँ बिना ब्याज वाली थी। तीन मुख्य निधियाँ, सोडियम सल्फेट, फॉरेस्ट कूप्स की विभागीय प्रबन्धन योजना तथा राज्य सड़क सुधार विकास कोष, क्रमशः ₹ 2.41 करोड़, ₹ 2.12 करोड़ तथा ₹ 4.02 करोड़ की थीं।

1.11 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण रूपरेखा

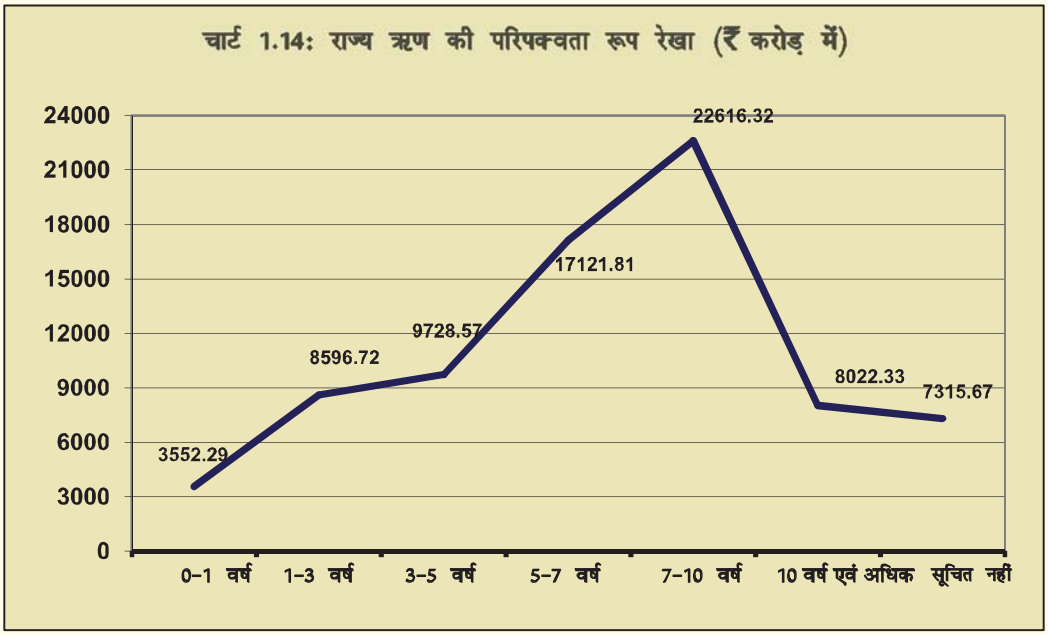
31 मार्च को पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा निम्नानुसार है:

तालिका 1.32: राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	
					राशि	प्रतिशत
0-1 वर्ष	2,570.56	2,778.07	3,415.48	4,610.18	3,552.29	4.62
1-3 वर्ष	5,824.81	7,111.05	8,632.80	8,813.32	8,596.72	11.17
3-5 वर्ष	7,414.30	7,328.82	8,882.26	8,526.22	9,728.57	12.64
5-7 वर्ष	7,780.07	7,214.43	9,779.54	14,440.58	17,121.81	22.25
7-10 वर्ष	32,436.54	36,973.06	38,165.23	23,410.14	22,616.32	29.39
10 वर्ष एवं अधिक				11,382.62	8,022.33	10.42
राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित	2,739.84	3,212.74	403.27	522.60	7,315.67	9.51
योग	**58,766.22**	**64,617.57**	**69,277.68**	**71,705.66**	**76.953.71**	**100.00**

स्त्रोत: वित्त लेखे।



स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.32 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,315.67 करोड़ की परिपक्वता रूपरेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती है। अवधि 1-3 वर्षों (₹ 8,596.72 करोड़), 3-5 वर्षों (₹ 9,728.57 करोड़) और 5-7 वर्षों (₹ 17,121.81 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बन जायेंगे। एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षों में हो, नहीं लिया जायेगा।

(ii) ऋण का टिकाऊपन

ऋण टिकाऊपन को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो उसके ऋणों

को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अत: ऋण का टिकाऊपन, चालू अथा वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता का भी उल्लेख करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सदृश्य होनी चाहिए। ***तालिका 1.33*** में वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ हुए तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण के टिकाऊपन का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

तालिका 1.33: ऋण का टिकाऊपन: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण के टिकाऊपन के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	22,373	18,364	7,585
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	6,173	500	(-) 4,908
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	383	(-) 617	2,908
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	16	14	12

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा परिमित रूप से ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), ऋण टिकाऊपन की स्थिति यह बताती है यदि प्रारम्भिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तत: टिकाऊ रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा ऋणात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में अन्तत: कमी आयेगी।

प्रमात्रा विस्तार एवं प्रारम्भिक घाटे का योग 2010-13 के दौरान धनात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण जीएसएडीपी अनुपात में कमी की प्रवृत्ति रही। ये प्रवृत्तियाँ इंगित करती है कि राज्य ऋण स्थिरीकरण की ओर अग्रसर है, जो यदि लगातार बनी रहती है तो अन्तत: राज्य ऋण के टिकाऊपन की स्थिति में सुधार लायेंगी।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण की स्थिरता एवं इसके टिकाऊपन के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताएं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण टिकाऊपन पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताऐं तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

लगातार ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अन्तराल) ऋण के गैर-टिकाऊपन को इंगित करती है जबकि धनात्मक संसाधन अन्तराल राज्य द्वारा ऋण का भार उठाने की क्षमता को बढ़ाता है। संसाधन अन्तराल जो कि वर्ष 2010-11 (₹ 6,173 करोड़) और 2011-12 (₹ 500 करोड़) के दौरान धनात्मक था, वर्ष 2012-13 में ((-) ₹ 4,908 करोड़) ऋणात्मक में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 9,767 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ी जबकि कुल व्यय ₹ 14,675 करोड़ (24 प्रतिशत) से बढ़ा।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी को इंगित करती है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 617 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,908 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध उधार कोष में ₹ 31,876 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि सरकारी अदायगी में ₹ 28,351 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान देयताओं की कुल प्राप्तियाँ एवं कुल अदायगी (ब्याज सहित) क्रमश: ₹ 1,59,608 करोड़ एवं ₹ 1,56,700 करोड़ थीं, अत: ₹ 2,908 करोड़ चालू संचालन हेतु उपलब्ध थे।

ब्याज भार

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य के ऋण के टिकाऊपन को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष की तुलना में दो प्रतिशतता बिन्दु तक कम हुई एवं यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ का 12 प्रतिशत थीं।

कालातीत ऋण

राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक/कार्यकारी बैंकों के माध्यम से खुले बाजार से लम्बे समय के लिये ऋण लेती है और ऋण की परिपक्वता पर उनकी अदायगी करती है। ऋण की परिपक्वता की तिथि ऋण के चालू करने के लिये जारी किये गये नोटिफिकेशन में वर्णित होती है। 31 मार्च 2013 तक, वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 के परिशिष्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.23 करोड़ के कालातीत ऋण की निवेशकों द्वारा पुनर्अदायगी हेतु प्रतिभूतियों/स्टॉक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अदायगी नहीं की गई।

1.11.1 बाजार उधार

उधार (जो राजकोषीय घाटे को प्रदर्शित करता है) को समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अन्तर्गत लेखांकन किया जाता है। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ यह आवश्यक है कि राज्यों को अपनी

आवश्यकता के आधार पर उधारों को लेने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए न कि उपलब्धता के आधार पर। राज्यों को राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य संतुलन संधारित करने का प्रयास करना चाहिये एवं पूँजीगत प्राप्तियों का उधारों सहित उत्पादित सम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग करना चाहिये। बाजार उधार भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाते है। राज्य, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकेगें यदि वे केन्द्र सरकार के ऋणी है (अनुच्छेद 293)।

बाजार उधारों तथा वृहद् एवं सम्बन्धित लघु शीर्षो (6003- राज्यों के आन्तरिक ऋण-101-बाजार ऋण) की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

- ***लोक ऋण स्थिरता सूचक***

परिशिष्ट 1.13 के अनुसार कुल देयतायें वर्ष 2008-09 के ₹ 84,023 करोड़ से 40 प्रतिशत बढ़कर (₹ 33,786 करोड़) वर्ष 2012-13 में ₹ 1,17,809 करोड़ हो गई लेकिन इस अवधि के दौरान बाजार ऋण 80 प्रतिशत से बढ़ा। देयताओं और लोक ऋण की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2008-09 में 36.38 प्रतिशत एवं 25.45 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में क्रमश: 24.64 प्रतिशत एवं 16.09 प्रतिशत रह गयी। तथापि, बाजार ऋण का कुल देयताओं एवं लोक ऋण से प्रतिशतता वर्ष 2008-09 में 29.16 प्रतिशत एवं 41.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में क्रमश: 37.53 प्रतिशत एवं 57.45 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2010-13 के दौरान उधारों की वार्षिक वृद्धि क्रमश: ₹ 7,752 करोड़, ₹ 7,275 करोड़ एवं ₹ 11,249 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्रमश: ₹ 8,029 करोड़, ₹ 9,489 करोड़ तथा ₹ 11,300 करोड़ से कम रही।

- ***बाजार ऋण की रूपरेखा***

मार्च 2013 को बकाया बाजार ऋण ₹ 44,209 करोड़ था, इसमें से ₹ 32,577 करोड़ (73.7 प्रतिशत) का बाजार ऋण पिछले पाँच वर्षो के दौरान लिया गया था। इस अवधि में ₹ 7,672 करोड़ (23.6 प्रतिशत) के ऋण की पुनर्अदायगी की गयी। वर्ष 2008-13 के दौरान बाजार ऋण 129 प्रतिशत से बढ़ा। यह वर्ष 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत से बढ़ा। वर्ष 2008-12 के दौरान, वर्ष में लिये गये बाजार ऋण की कुल बकाया बाजार ऋण से प्रतिशतता घटती हुई प्रवृति दर्शाती है ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता***

यद्यपि वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया ऋणों की भारित औसत परिपक्वता ने गत वर्ष की तुलना में 6.70 से 6.79 वर्षो की वृद्धि दिखाई, तथापि, इसमें पाँच वर्षो की अवधि 2008-13 के दौरान, बकाया ऋणों की भारित औसत परिपक्वता के समग्र औसत से कमी प्रदर्शित हुई, जो कि 6.88 वर्ष थी ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति***

परिपक्वता प्रोफाइल के हिसाब से वर्ष के अंत में बकाया बाजार उधारों का लगभग 59.3 प्रतिशत, सात एवं अधिक वर्षों के परिपक्वता वर्ग से संबंधित है, राज्य का पुनर्भुगतान दायित्व वर्ष 2017-18 में 130.6 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 59.4 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 में 78.7 प्रतिशत संबंधित गत वर्षों की तुलना में बढ़ेगा। वर्ष 2009-10 में अत्यधिक मात्रा में लिया गया बाजार उधार, वर्ष 2019-20 में बाजार ऋणों (₹ 44,209 करोड़) के कुल पुनर्भुगतान दायित्वों (2013-23) का 17 प्रतिशत समाप्त कर देगा। वर्ष 2012-13 में, सरकार ने ₹ 8,041 करोड़ का उधार बाजार ऋणों के रूप में लिया जो कुल बकाया ऋणों (₹ 44,209 करोड़) का 18 प्रतिशत है ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***भारित ब्याज दर की रूपरेखा***

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर लिये गये बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज की दर 8.84 प्रतिशत वर्ष 2008-09 (7.67 प्रतिशत) से अधिक थी। तथापि, यह गत वर्ष (2011-12) की ब्याज दर यथा 8.97 प्रतिशत से कम थी ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***ब्याज भुगतान की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता***

ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण टिकाऊपन को निश्चित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान, गत वर्ष की अपेक्षा 1.38 प्रतिशतता बिन्दुओं तक कम हुआ एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 12.46 प्रतिशत रहा और यह वर्ष 2008-09 (18.60 प्रतिशत) की तुलना में 6.14 प्रतिशतता बिन्दु तक कम हुआ ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***रोकड़ शेषों का निवेश***

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का स्पष्ट प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। यद्यपि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ प्रवर्तित करने की आवश्यकता होती है, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अप्रभावी प्रबंधन को निरूपित करता है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वत: ही 14 दिवसीय मध्यम कोषालय बिलों एवं 91/181/364 दिवसीय नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2012-13 के अंत तक, ₹ 12,127.66 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों

प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 883.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। ₹ 801.65 करोड़ की राशि भी चिन्हित निधियों में निवेशित की गई। भारत सरकार की प्रतिभूतियों/कोषालय बिलों में निवेशित रोकड़ शेष वर्ष 2007-08 के अंत में ₹ 5,839.43 करोड़ से 107.69 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 के अंत तक ₹ 12,127.66 करोड़ हो गया।

नकद शेषों[27], लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1.34: नकद शेष बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1 अप्रैल को नकद शेष	5,293.39	5,165.92	2,361.65	6.087.76	9.785.11
31 मार्च को नकद शेष	5,165.92	2,361.65	6.087.76	9.785.11	12.886.72
भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	5,268.04	2,675.50	5,708.51	9,307.62	12,127.66
लिये गये बाजार ऋण	6,355.80	7,500.00	6,180.00	4,500.00	8,041.10
कुल बजटीय व्यय	40,185.00	46,790.00	51,036.00	60,524.00	71,956.00
मासिक औसत बजटीय व्यय	3,349.00	3,899.00	4,253.00	5,044.00	5,996.00

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

वर्ष 2011-13 के दौरान, सरकार द्वारा, रोकड़ शेष की सुविधाजनक स्थिति, राजस्व अधिशेष एवं जीएसडीपी पर राजकोषीय घाटे के कम प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में, बाजार ऋणों को कम किया जा सकता था और उसी के अनुरूप ब्याज भुगतान भार को सार्थक रूप से कम किया जा सकता था।

वर्ष 2012-13 के दौरान, रोकड़ शेष, औसत मासिक बजटीय व्यय, लिये गये/वांछित बाजार ऋण की माह वार स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

माह	प्रारम्भिक नकद शेष	माह वार औसत बजटीय व्यय	अधिक नकद शेष	माह तक लिये गये बाजार ऋण	नगद शेष में वृद्धि/कमी बाजार ऋण को छोड़कर	वांछित बाजार ऋण
अप्रैल	9350	5,996	3,354	-	3,354	-
मई	9429	5,996	3,433	500	3,433	-
जून	9428	5,996	3,432	1,000	2,932	-
जुलाई	10270	5,996	4,274	2,000	3,274	-
अगस्त	11255	5,996	5,259	3,000	3,259	-
सितम्बर	11969	5,996	5,973	4,000	2,973	-
अक्टूबर	13119	5,996	7,123	5,000	3,123	-
नवम्बर	14105	5,996	8,109	6,000	3,109	-
दिसम्बर	14252	5,996	8,256	6,500	2,256	-
जनवरी	9350	5,996	3,354	7,500	(-) 3,146	3,146
फरवरी	14452	5,996	8,456	7,500	956	-
मार्च	13928	5,996	7,932	8,041.10	432	-

[27] इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,146 करोड़ के बाजार ऋणों की आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 8,041.10 करोड़ के ऋण लिये गये। इस प्रकार, ₹ 4,895 करोड़ के ऋण अधिक लिये गये।

इंगित करने पर, वित्त विभाग (मार्गोपाय अनुभाग) ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन एवं व्यय में उतार चढ़ाव बना रहता है तथा सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय नियमित प्रकृति के नहीं होते। साथ ही, ये उधार भविष्य में संभावित भुगतानों हेतु उठाये गये हैं। बाजार उधारों पर वित्त विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि पूर्व में उठाये गये बाजार उधार, कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं रोकड़ शेष को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के नीचे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधार की अधिकतम सीमा/वार्षिक वृद्धिजन्य उधारों के लिये सीमा निर्धारित की थी न कि निवल बाजार उधारों हेतु। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास पर्याप्त नकद शेष था जिसे कि बाजार से निधियाँ उधार लेने के स्थान पर उपयोग किया जा सकता था, एवं उस सीमा तक ब्याज अदायगी के भार को कम किया जा सकता था।

- ***उधारों का उपयोग***

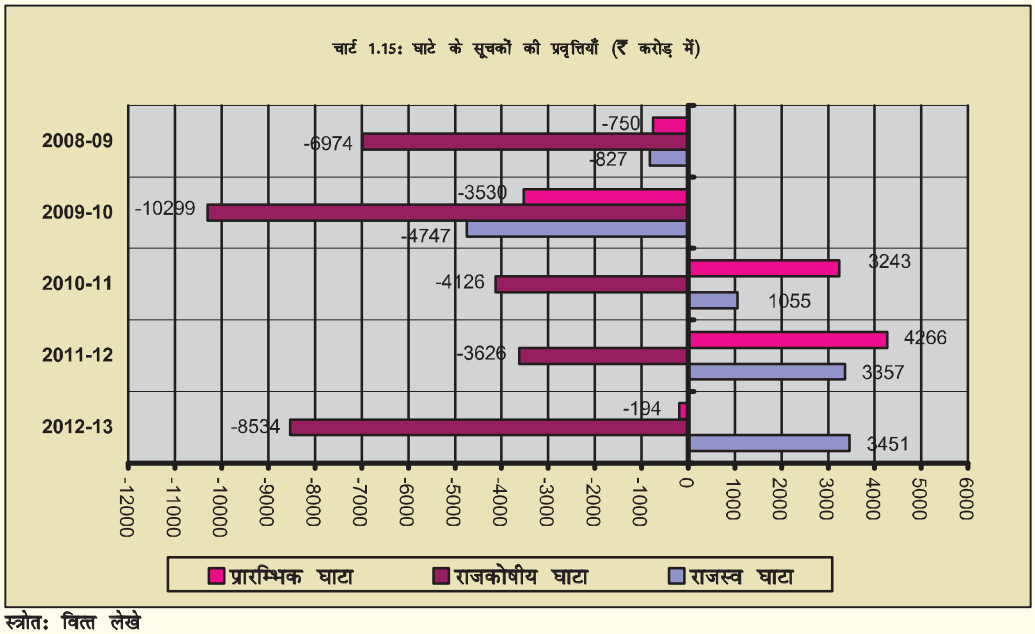
राज्य को राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के मध्य संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और उधारों सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादक सम्पत्तियों के सृजन के लिये करना चाहिये। वित्त विभाग (मार्गोपाय अनुभाग) ने बताया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निवल उधारों का क्रमशः 85.69, 68.90, 67.73 और 97.85 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

1.12 राजकोषीय असंतुलन

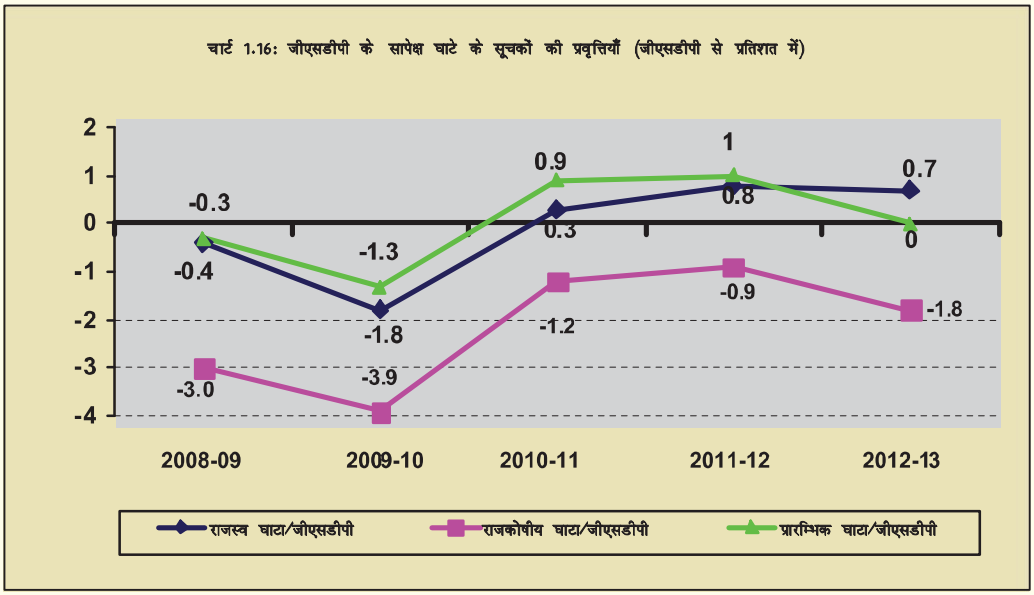
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटे-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह तरीका जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.15 एवं **1.16** वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्त्रोत: वित्त लेखे



राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

राज्य, वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के राजस्व घाटे की स्थिति से वर्ष 2010-11 एवं आगे के वर्षों में, राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 17 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर 18 प्रतिशत थी। जिसके

परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष कम हो गया। राजस्व अधिशेष वर्ष 2011-12 के ₹ 3,357 करोड़ से ₹ 94 करोड़ (3 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,451 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यत: सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसकी अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष **तालिका 1.35** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2008-09	33,562	40,536	6,974	3.0	20.8	17.2
2009-10	35,506	45,805	10,299	3.9	29.0	22.5
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.2	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.9	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.8	12.6	11.2

स्त्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था, वर्ष 2009-10 में यह अनुपात भारत सरकार की सलाह के आधार पर राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाये जाने के कारण सर्वाधिक था। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मुख्यत: उधारों में वृद्धि के कारण हुई। ***राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1.8 प्रतिशत हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 एवं संशोधित (मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत के अन्दर रही।***

प्रारम्भिक घाटा

जबकि राजकोषीय घाटा सामान्यत: अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, ऐसे स्रोत्रों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008-10 से प्राथमिक घाटा भी वर्ष 2010-11 से प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2012-13 में, प्राथमिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) पुन: ₹ 194 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा, गैर-आयोजना राजस्व व्यय ओर राज्य के स्व-संसाधन के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 6,591 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 13.4 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकी आंकलन (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 5.4 प्रतिशत) ₹ 1,796 करोड़ से अधिक था।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का पैटर्न

तालिका 1.36, वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार संवितरण/बहिर्गमन के निवल को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का पैटर्न

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2012-13		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे का अपघटन									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	(-)1,653	827	4,747	(-)1,055	(-) 3,357	66,913	63,462	(-)3,451
2	निवल पूँजीगत व्यय	6,554	5,896	5,166	5,238	7,103	8	10,683	10,675
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)1,493	251	386	(-) 57	(-) 120	1,102	2,412	1,310
	योग (अ)	**3,408**	**6,974**	**10,299**	**4,126**	**3,626**	**68,023**	**76,557**	**8,534**
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न									
1	बाजार से उधार	3,233	5,196	6,112	4,837	3,103	8,041	2,383	5,658
2	भारत सरकार से कर्ज	46	(-) 66	(-) 142	(-) 94	(-) 131	200	468	(-) 268
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 223	(-) 434	(-) 560	(-) 553	(-)1,138	484	1,235	(-) 751
4	मार्गोपाय अग्रिम	(-) 59	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	220	350	442	470	594	1,230	620	610
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,119	1,405	2,145	2,841	2,767	7,171	5,007	2,164
7	जमा तथा अग्रिम	557	347	1,274	885	1,096	1,40,748	1,37,332	3,416
8	उचन्त एवं विविध	2	39	(-) 14	(-) 49	12	44	47	(-) 3
9	प्रेषण	(-) 14	21	(-) 1	-	-	7,033	7,004	29
10	आरक्षित निधियाँ	1,198	(-) 11	(-)1,761	(-) 485	1,020	1,568	787	781
	योग (ब)	**6,079**	**6,847**	**7,495**	**7,852**	**7,323**	**1,66,519**	**1,54,883**	**11,636**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	(-)2,671	127	2,804	(-)3,726	(-)3,697	2,34,542*	2,31,440*	(-)3,102
12	कुल घाटा (ब+11)	3,408	6,974	10,299	4,126	3,626	68,023	76,557	8,534

*** 2012-13 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।**

स्त्रोतः वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधारों की आवश्यकता है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण

प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 8,534 करोड़ था जो ₹ 3,451 करोड़ तक राजस्व अधिशेष से पोषित हुआ।

तालिका 1.36 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा वृहद् निवल पूँजीगत व्यय के कारण था। राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा, परन्तु राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2011-12 में 86 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में 66 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 8,534 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति मुख्यत: बाजार से उधार (₹ 5,658 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 3,416 करोड़) और अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,164 करोड़) से की गयी जो कि रोकड़ शेष (₹ 3,102 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुआ।

बाजार से उधार एवं अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि करते हुए गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत बढ़ गये।

1.12.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्रारम्भिक घाटे का प्रारम्भिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है कि जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा था तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। प्रारम्भिक घाटे के विभाजन **(तालिका 1.37)** में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूंजीगत व्यय, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।

तालिका 1.37: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	33,562	28,072	5,900	340	34,312	(+) 5,490	(-) 750
2009-10	35,506	33,363	5,175	498	39,036	(+) 2,143	(-) 3,530
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194

स्त्रोत: वित्त लेखे।

प्रारम्भिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2008-09 में 17 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2012-13 में 16 प्रतिशत कम हो गया। गत वर्ष की तुलना में प्रारम्भिक व्यय में ₹ 14,227 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 9,767 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) प्रारम्भिक घाटे (₹ 194 करोड़) में बदल गया। प्रारम्भिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम के संवितरण, गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 117 प्रतिशत बढ़ गये। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुयी जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक घाटा रहा।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,902 करोड़ (17.4 प्रतिशत) एवं ₹ 9,808 करोड़ (18.3 प्रतिशत) से बढ़ी। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में केवल ₹ 94 करोड़ से बढ़ा। वर्ष के दौरान निवल पूँजीगत व्यय तथा निवल कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण क्रमशः ₹ 3,572 करोड़ तथा ₹ 1,430 करोड़ से बढ़ा परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में ₹ 4,908 करोड़ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से प्रतिशत, एफआरबीएम अधिनियम 2005 एवं संशोधन (मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित 3 प्रतिशत की तुलना में 1.8 प्रतिशत था लेकिन यह गत वर्ष के 0.9 प्रतिशत से अधिक था। ब्याज भुगतान ₹ 448 करोड़ से बढ़ा। वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 194 करोड़ प्रारम्भिक घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य वित्त से संबंधित कुछ चिन्ता विषयक बिन्दु निम्न प्रकार हैः

राजस्व प्राप्तियाँः वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 66,913 करोड़) गत वर्ष की तुलना में 17.4 प्रतिशत बढ़ी, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व दोनों में सुधार के कारण थी। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 के 14.5 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत सीमान्त रूप से कम हुई, जो यह इंगित करता है कि कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि जीएसडीपी के साथ गति नही रख सकी।

राजस्व व्ययः वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय ₹ 76,557 करोड़ का 83 प्रतिशत था; कर-भिन्न राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत रहा। राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 57 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्ययों जैसे वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा अर्थसहाय्य पर, व्यय करने के पश्चात् अन्य उद्देश्यों के लिए मामूली शेष रहा। राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता तथा सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन) पर भी व्यय किया।

बजट अनुमान

बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय क्रमश: 6 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत से बढ़े। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष अनुमानित राजस्व अधिशेष से ₹ 2,523 करोड़ बढ़ गये। पूँजीगत व्यय भी बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गये। वास्तविक राजकोषीय घाटा तथा प्रारम्भिक अधिशेष बजट अनुमान से क्रमश: ₹ 116 करोड़ तथा ₹ 141 करोड़ कम हुआ।

पूँजीगत व्यय को अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से बढ़ा एवं गत वर्ष के 11.5 प्रतिशत की तुलना में कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा। यह वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से 10 प्रतिशत अधिक था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान समग्र व्यय के अनुपात के रूप में पूँजीगत व्यय (14 प्रतिशत) वर्ष 2008-09 (14.6 प्रतिशत) से कम था। मार्च 2013 के अन्त में उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय (₹ 79,229 करोड़) 166 अपूर्ण परियोजनाओं में ₹ 8,659 करोड़ (10.9 प्रतिशत) अवरूद्ध रहा। राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी क्योंकि यह राज्य सरकार के एमटीएफपीएस में आंकलनों से अधिक था।

वित्तीय प्रबन्ध

सरकारी निवेशों की समीक्षा: राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ गत तीन वर्षों के दौरान 0.2 से 0.4 प्रतिशत से मध्य था, जबकि सरकार ने इस निवेश पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। 31 मार्च 2013 को ₹ 17,566 करोड़ (94 प्रतिशत) का निवेश ऐसे सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों एवं संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किया हुआ था जिनकी संचित हानि ₹ 45,716 करोड़ थी। वर्ष 2012-13 के अन्त तक राज्य सरकार ने छ: अप्रचलित सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों में ₹ 30.20 करोड़ निवेश किये।

राज्य सरकार के लिये सलाह योग्य है कि निवेशों पर बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित किया जाय अन्यथा कम वित्तीय प्रतिफल वाली योजनाओं में उच्च लागत की उधार ली गयी निधियों का निवेश जारी रहेगा। परियोजनाओं, जिन्हें कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिलाभ के कारण उचित ठहराया गया है, की पहचान की जाये और उन्हें पूर्ण औचित्य के साथ कि क्यों उच्च लागत के उधारों को वहाँ लगाया जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जाये। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भारी हानि उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा किया जाना भी विवेकपूर्ण होगा तथा या तो उनके पुनरूद्धार की नीति तैयार की जायें (जो व्यवहार्य बनाये जा सकते हैं) अथवा उन्हें बन्द कर दिया जावे (यदि वे दी गयी चालू बाजार की परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं हो सकते)।

विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धनः 31 मार्च 2013 को राज्य के पास ₹ 12,887 करोड़ का अधिशेष रोकड़ शेष था। यह गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत बढ़ा। अधिशेष रोकड़ शेषों को रखने की उच्च लागत होती है। चूँकि, उच्च निष्क्रिय रोकड़ शेष रखना विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन नहीं है, अतः परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण

भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को काफी अधिक मात्रा में (वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,826 करोड़) केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के कियान्वयन हेतु निधियाँ सीधे अन्तरित की गयी। बजट से इतर कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे निधियों का अंतरण राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम की पारदर्शिता और जबाबदेही की आवश्यकता को बाधित करता है। इनके उपयोग के अनुश्रवण के लिए कोई एक एजेन्सी नहीं है तथा किसी वर्ष विशेष में फ्लैगशिप योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया है, के आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं।

भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों को सीधे ही अन्तरण से इन एजेन्सियों द्वारा निधियों के अनुपयुक्त उपयोग का जोखिम रहता है।